# वार्षिक रिपोर्ट

## 2020-2021

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

# okf"kZd fjiksVZ
# 2020&2021

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से
डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

# विषय–सूची


| | | |
|---|---|---|
| ❍ | çEk[k miyfC/k;k | 1 |
| ❍ | lLFkku dk fotu vkSj fe'ku | 15 |
| ❍ | lLFkku dk vf/kns'k | 16 |
| ❍ | lLFkku dh Lkajpuk | 17 |
| ❍ | vuqla/kku | 21 |
| | श्रम बाजार अध्ययन केंद्र | 22 |
| | कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र | 27 |
| | राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र | 31 |
| | रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र | 38 |
| | एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम | 41 |
| | लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र | 44 |
| | पूर्वोत्तर भारत केंद्र | 50 |
| | श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र | 56 |
| | जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र | 59 |
| | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र | 61 |
| ❍ | çf'k{k.k vkSj f'k{kk | 64 |
| ❍ | ,u- vkj- Mh Je lapuk lalk/ku dsUnz | 83 |
| ❍ | jktHkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u | 85 |
| ❍ | çdk'ku | 87 |
| ❍ | i{k leFkZu vkSj çlkj | 90 |
| ❍ | lLFkku ds b&xouZl ,oa fMftVy volajpuk dk mUu;u | 91 |
| ❍ | depkfj;ksa dh la[;k | 91 |
| ❍ | QSdYVh ,oa vf/kdkfj;ksa dh lwph | 92 |
| ❍ | ys[kk ijh{kk fjiksVZ vkSj ys[kkijhf{kr okf"kZd ys[kk 2020&2021 | 95 |

# çEkq[k miyfC/k;k
## (2020-2021)

- Okh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] Je ,oa lcf/kr ennks ij vuql/kku] if'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,oa ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh lLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एंव रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का iqu% ukedj.k 1995 esa] Hkkjr ds Hkwriwoz jk"Vifr ,oa çfl) VsM ;fu;u urk Jh oh- oh- fxfj ds uke ij fd;k x;kA
- Okh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] Je ,oa lcf/kr ennks ij vuql/kku] if'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,oa ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh lLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनः नामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा है।
- lkekftd Hkkxhnkjks dks ifjorZu dh pqukSfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, rS;kj djuk% भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। मार्च और अप्रैल 2020 के दौरान कोविड–19 महामारी की स्थिति और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उन संस्थानों में से एक था जिन्होंने प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण के प्रतिपादन अथवा प्रशिक्षुओं की संख्या से समझौता किए बिना प्रशिक्षण के ऑनलाइन मोड को अपनाया। संस्थान ने 154 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6048 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। अपनी स्थापना के बाद से एक वर्ष में वीवीजीएनएलआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुओं की यह सबसे अधिक संख्या है। संस्थान ने 16 वेबिनार/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जिनमें 3569 प्रतिभागियों ने भाग लिया, प्रतिभगियों की यह संख्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित 6048 प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त है। संयोग से, एक वर्ष में प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धिः 2019–20 (4533) से 2020–21 (6048) भी सबसे अधिक (33.5 प्रतिशत) वृद्धि है।
- Ukhfr&fuekZ.k ds fy, Kku dk vk/kkj% संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 22 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन (14 अनुसंधान परियोजनाएं एवं 08 मामला अध्ययन) पूरे किए जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।

- **fo’k"kK leg lok,½** संस्थान समय–समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों जैसे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मार्फत आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहा है जो नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

- **vlxfBr dkexkjk dk l’kDr cukuk½** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर 61 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 2521 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

- **iokÙkj {k= dh fprkvk d lek/kku d fy, fo’k"khdr if'k{k.k½** संस्थान ने 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वीवीजीएनएलआई में आयोजित किए गए तथा इनमें 376 कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है तथा यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जैसा कि महापरिषद द्वारा एक बैठक में अधिदिष्ट किया गया, संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने पर जोर दे रहा है।

- **Je d enns ij vrjk"Vh; if'k{k.k dk;Øe vk;kftr djus dk gc ¼dsUn½** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। कोविड–19 महामारी के कारण संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सका। तथापि, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है, वर्ष 2021–22 के दौरान आईटीईसी/एससीएएपी योजना के अंतर्गत दो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

- **Je enns l lcf/kr lpuk ,o fo’y"k.k dk çlkj ½** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट* (छमाही पत्रिका), *अवार्ड्स डाइजेस्ट* (तिमाही पत्रिका), *श्रम विधान* (तिमाही हिंदी पत्रिका), *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष* (द्विमासिक पत्रिका), *चाइल्ड होप* (तिमाही पत्रिका) तथा *श्रम संगम* (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इनके अलावा, संस्थान समय–समय पर अन्य प्रकाशन जैसे ‘वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज’ जिसमें सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव पर फोकस किया जाता है और ‘वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला’ जिसमें कुछ मामला अध्ययनों/हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने वर्ष 2020–21 के दौरान 40 प्रकाशन प्रकाशित किये।

- संस्थान ने वर्ष 2020–21 के दौरान चार *आवधिक प्रकाशन* प्रकाशित किए:
  - चार श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज, जिसका शीर्षक है: *न्यू लेबर कोड्स–पुटिंग इंडिया ऑन अ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी* – डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक
  - इंपैक्ट ऑन एंप्लॉयमेंट ऑफ दि मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017 – डॉ. शशि बाला
  - कृषि संकट को समझना: उभरती चुनौतियों का अध्ययन – डॉ. शशि बाला
  - कृषि संकट को समझना: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य – डॉ. शशि बाला

- uohuhd`r ç'kklfud [kM dk mn?kkVu

  माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के द्वारा श्री कामाख्या प्रसाद तासा, माननीय सांसद (राज्य सभा); श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव श्रम एवं रोजगार; श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; महापरिषद के अन्य सदस्यों; संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के नवीनीकृत प्रशासनिक खंड का उद्घाटन संपन्न हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव श्रम एवं रोजगार; श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; महापरिषद के सदस्यों; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में वीवीजीएनएलआई के नवीनीकृत प्रशासनिक खंड का उद्घाटन करते हुए।

- वीवीजीएनएलआई की कार्यपरिषद की बैठक श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 अगस्त 2020 को संपन्न हुई। श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने बैठक में भाग लिया। डॉ. वीरेंद्र कुमार,

माननीय सांसद (लोक सभा); श्री अरुण चावला, फिक्की; श्री रोहित भाटिया, एसोचेम; श्री बी. सुरेंद्रन, बीएमएस; श्री सुकुमार दामले, एआईटीयूसी; श्री सतीश रोहतगी और श्री वीरेंद्र कुमार, बीएमएस ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार); श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

- वीवीजीएनएलआई की महापरिषद की बैठक श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में 18 दिसम्बर 2020 को संपन्न हुई। श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उपाध्यक्ष, महापरिषद; डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सांसद (लोक सभा); श्री कामाख्या प्रसाद तासा, माननीय सांसद (राज्य सभा); सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री पराग गुप्ता, सलाहकार (एसडी एंड ई), नीति आयोग; श्री बी. सुरेंद्रन, बीएमएस; श्री सुकुमार दामले, एआईटीयूसी तथा श्री वीरेंद्र कुमार, श्रम विशेषज्ञ ने डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं सदस्य सचिव, महापरिषद, वीवीजीएनएलआई द्वारा समन्वित इस बैठक में भाग लिया।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (श्रम एवं रोजगार); डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और महापरिषद के अन्य सदस्य 18.12.2020 को आयोजित महापरिषद की बैठक के दौरान प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

- 0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,o mls lqn`< cukuk% आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यावसायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा।

  - ☞ संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

    - ⇨ वर्ष 2020–21 के दौरान आईएलओ–आईटीसी, ट्यूरिन और आईएलओ, जिनेवा के संकाय संदस्य कोविड–19 के प्रकोप के कारण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सत्र लेने में शामिल रहे।

    - ⇨ आईटीसी– आईएलओ ने वीवीजीएनएलआई से 7–9 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित *'इफेटिव प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इन इमरजेंसी सिचुएशंस'* पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक ई–कोचिंग फोरम में भाग लेने का भी अनुरोध किया था। इस कार्यक्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

  - ☞ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा fcDl देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

  - ⇨ इस नेटवर्क की व्यावसायिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में, संस्थान ने श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क, 2020 के तहत *dk'ky vkj dk;l dh cnyrh nfu;k* पर एक अनुसंधान अध्ययन किया और इसे रशियन रिसर्च साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर को भेजा। संस्थान 2020 में रूस की अध्यक्षता के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार 'कोविड–19 संकट के संदर्भ में रोजगार और आय का समर्थन' पर अनुसंधान कार्य भी कर रहा है।

  - ⇨ वर्ष 2021–22 के दौरान ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों की अध्यक्षता भारत करेगा। चूंकि ब्रिक्स श्रम अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व वीवीजीएनएलआई करता है, संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा और डीसेंट वर्क टेक्नीकल टीम सपोर्ट (डीडब्ल्युटी) फॉर साउथ एशिया के साथ परामर्श में निम्नलिखित विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

    (i) ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना;
    (ii) श्रम बाजारों का औपचारिकरण;
    (iii) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और
    (iv) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक: श्रम बाजार में भूमिका।

- Ukhfrxr eqn~nksa ij xgu cgl djus ,oa çeq[k igyqvksa dks çLrqr djus gsrq eap% समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रिया इंटरनेशनल एकेडमी (पीआईए) एवं मार्था फेरल फाउंडेशन (एमएफएफ) के सहयोग से 'विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस' पर 28 अप्रैल 2020 को *कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य: जेंडर पर फोकस के साथ व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य* पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कार्यशाला में कार्यदशाओं के अलावा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया। इस वेबिनार में श्रम विभाग के अधिकारियों और अन्य सामाजिक भागीदारों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईएलओ डीडब्ल्युटी/सीओ इंडिया और केएसएफ के साथ मिलकर आईएलओ द्वारा सबसे पहले वर्ष 2002 में शुरु किए गए 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्युडीएसीएल)' को मनाने के लिए 12 जून 2020 को *'कोविड–19: बच्चों का बाल श्रम से संरक्षण, अब पहले से कहीं ज्यादा''* पर एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्घाटन श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। श्री कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने की। वेबिनार के उद्घाटन सत्र में सुश्री डगमर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ इंडिया; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

- संस्थान ने 21 जून 2021 को *'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'* (आईडीवाई) मनाया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के साथ–साथ उनके परिजनों ने अपने घरों से भाग लिया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने (वीवीजीएनएलआई) ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के सहयोग से 09 जुलाई 2020 को *'महिला श्रम बल भागीदारी'* पर पांचवें क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। परामर्श का उद्घाटन सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू ने किया। सुश्री मीता राजीवलोचन, सदस्य सचिव, एनसीडब्ल्यू ने स्वागत भाषण दिया।

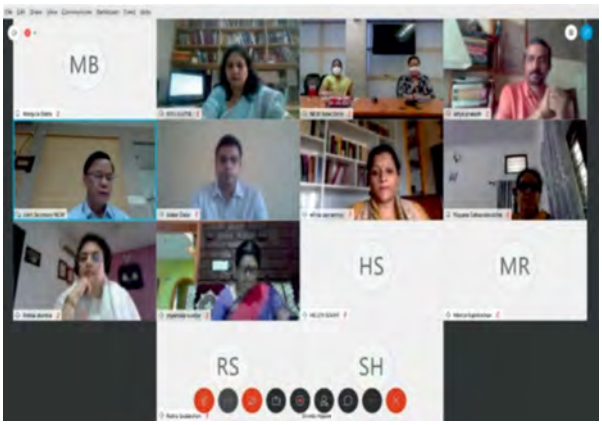


प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह, माननीय कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) ने अध्यक्षीय भाषण दिया। श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर ने परामर्श में एक विशेष भाषण दिया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. हेलन आर सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने इस कार्यक्रम में एक प्रस्तुतिकरण दिया। डॉ. एलीना सामंतराय ने एनसीडब्ल्यु, नई दिल्ली के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का समन्वय भी किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान (केआईएलई) के सहयोग से 25–26 अगस्त 2020 के दौरान *'केरल की जॉब चुनौतियों को समझना'* पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं, शोधकर्ताओं, श्रम विभाग के अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों सहित केरल से 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और सुश्री एम. शजीना, कार्यकारी निदेशक, केआईएलई ने विशेष व्याख्यान दिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री किरण, केआईएलई, तिरुवनंतपुरम ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 15 सितम्बर 2020 को *श्रमिक प्रवासनः मुद्दे और आगे की राह* पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन

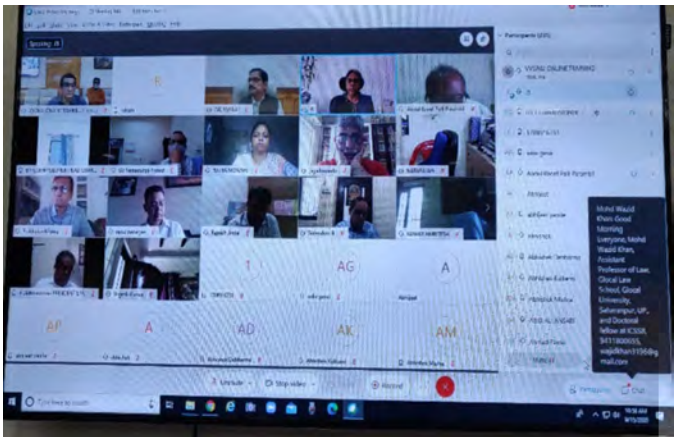

सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया और कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया। कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: श्रमिक प्रवासन के रुझान और पैटर्न; श्रमिक प्रवासन प्रवाह के सभी रूपों का पता लगाने में डेटा के मौजूदा द्वितीयक स्रोतों की प्रभावशीलता; प्रवासन प्रवाह पर रोजगार सृजन कार्यक्रमों का प्रभाव; विशेष रूप से हाल के कोविड–19 महामारी के आलोक में प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाएं; प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षाओं को कम करने में विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए उपाय आदि। इस ऑनलाइन कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एनसीएलपी के अध्यक्षों के लिए 'पेंसिल पोर्टल' पर 17 सितम्बर 2020 को एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति को सावधानीपूर्वक दर्ज करने पर प्रकाश डालना; स्टाइपेंड मॉड्यूल के कार्यचालन पर जोर देना; डीएससी का पंजीकरण; लाभार्थी सत्यापन और अन्य संबंधित पहलू। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला की अध्यक्षता की और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला के प्रयोजन से अवगत कराया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार), सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

*श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार), सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, (श्रम एवं रोजगार); श्री डीपीएस नेगी, सीएलसी एवं एसएलईए और डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए*

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पोर्टल के कामकाज और प्रभावशीलता के बारे में ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से 17 सितम्बर 2020 को ^lek/kku ikVZy^ (औद्योगिक विवादों की निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन) पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का उद्घाटन श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया और सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वेबिनार की अध्यक्षता की एवं पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। श्री डीपीएस नेगी, सीएलसी एंड एसएलईए ने समाधान पोर्टल के महत्व के बारे में बताया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं संदर्भ निर्धारित किया। डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गाँधीग्राम, तमिलनाडु के सहयोग से 16–18 सितम्बर 2020 के दौरान *'आदिवासी एवं ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकासः समावेश एवं अवसर'* पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। इस कार्यशाला में आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के समावेश और कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पीआरआई के अधिकारियों, एनजीओ/ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, कौशल विकास संस्थानों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में 46वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम में ^okLrfod Je dkuu lèkkj% mUur lkekftd lj{kk d fy, ubl lfgrk,^ पर एक पैनल सदस्य के रूप में व्याख्यान दिया। श्री हीरालाल सामरिया, आईएएस, सूचना आयुक्त, भारत सरकार और पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पैनल चर्चा का नेतृत्व किया।

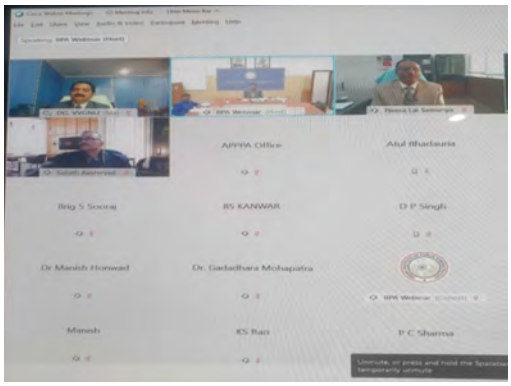



*डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; आईआईपीए में 46वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम में श्री हीरालाल सामरिया, आईएएस, सूचना आयुक्त, भारत सरकार और पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एक पैनल सदस्य के रूप में व्याख्यान देते हुए*

- अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के सहयोग से *'बंधुआ श्रम पुनर्वास में समन्वय और अभिसरण'* पर एक ई–परामर्श 26 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस परामर्श का उद्देश्य बचाए गए बंधुआ श्रमिकों/बेगारों, प्रवासियों और, तस्करी पीड़ितों के स्थायी पुनर्वास के लिए राज्यों की प्रासंगिक योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के अनुभव और कार्यान्वयन वास्तविकताओं को साझा करने के साथ–साथ राज्यों को संभावित दिशानिर्देशों के माध्यम से बीएलआर योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए समाधानों की पहचान करने की दिशा में हितधारकों, सीएसओ और सरकारी अधिकारियों से सुझाव लेना था। इस परामर्श का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च 2021 को संस्थान में *'कामकाजी महिलाएँ: कोविड–19 की चुनौतियों पर काबू पाना'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महामारी के दौरान महिला श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों और उन्हें दूर करने की रणनीतियों पर विचार–विमर्श करना था। परिचर्चा के पश्चात इस विषय पर काव्य पाठ किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई




*डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए*

ने किया। कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई तथा श्री बी.एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- 17 मार्च 2021 को *vkS|kfxd lac/k lafgrk] 2020* पर एक त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संहिता और इसके निहितार्थों पर विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने उद्घाटन व्याख्यान दिया और श्री राजन वर्मा, पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने औद्योगिक संबंध संहिता की प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन प्रदान किया। श्री एस मल्लेशम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ ने ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को साझा किया और श्री माइकल डायस, सचिव, दिल्ली नियोक्ता संगठन ने औद्योगिक संबंध संहिता पर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण को साझा किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने किया।

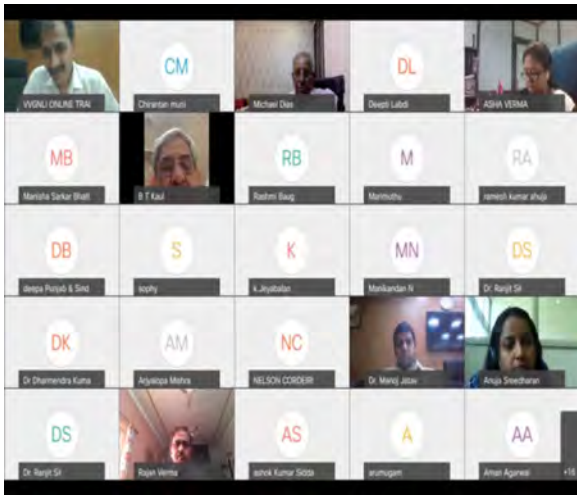



- 17 मार्च 2021 को *'नेतृत्व की कला'* पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य संकट के दौरान गतिशील परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं और दूसरों का अन्वेषण करना था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनकी नेतृत्व शैली का मानचित्रण और विश्लेषण करने, प्रभावी नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए कार्यनीति तैयार करने में मदद करना था। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया और इसमें सरकारी अधिकारियों, मानव संसाधन पेशेवरों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और परास्नातक के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

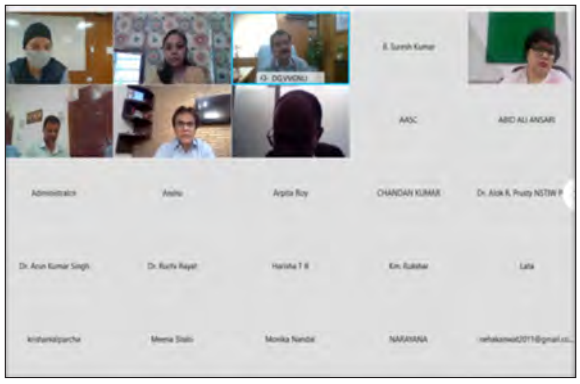

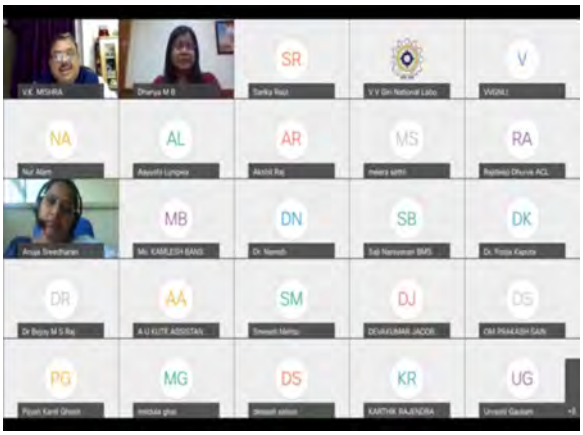

- 26 मार्च 2021 को *dkfoM&19 vkj Hkkjr d Je ckt kj ij bl dk çHkko* पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। विशेषज्ञों के पैनल में शामिल थेः श्री शबरी नायर, दक्षिण एशिया के लिए श्रम प्रवास विशेषज्ञ, डीडब्ल्यूटी आईएलओ–नई दिल्ली; प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी); सुश्री मृदुला घई, निदेशक– पीडीयूएनएएसएस और अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय; डॉ अनुजा श्रीधरन, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ; श्री सी.के. साजीनारायण, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ; श्री वी के मिश्रा, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली। डॉ. धन्या एम.बी., वीवीजीएनएलआई ने युवा रोजगार पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में मध्य और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और सिविल सोसायटी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता वाले शोधकर्ताओं सहित 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

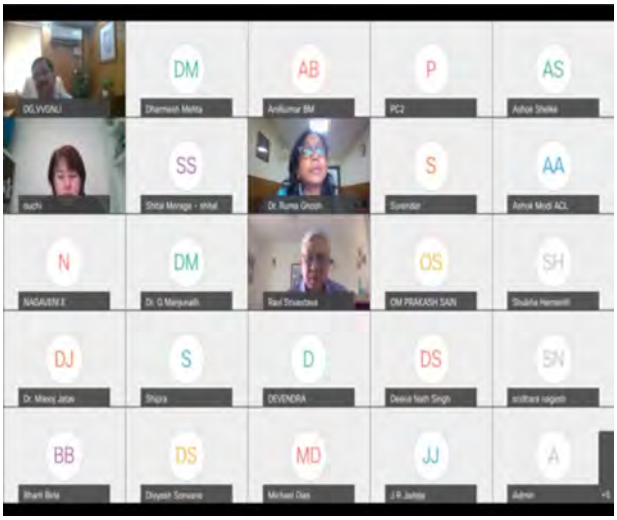

- गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए 30 मार्च 2021 को *'रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना'* विषय पर एक वर्चुअल परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी संगठनों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 30 मार्च 2021 को *'विविधता, समावेश और समानता कानूनों के माध्यम से श्रम संहिताएं'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्य की दुनिया में विविधता, समावेश

और समानता, कार्यस्थल भेदभाव और उत्पीडन तथा नई श्रम संहिताओं के अनुरूप संगठनों द्वारा नीति निर्माण में उचित समायोजन के पहलुओं पर चर्चा करना था। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया और इसमें सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और जेंडर विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

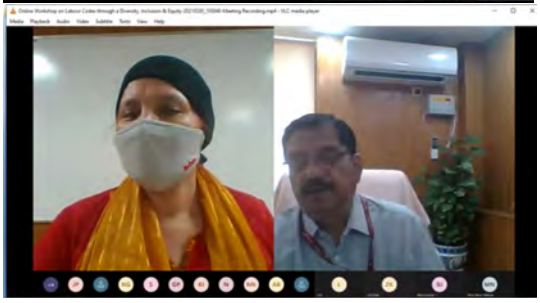



- 31 मार्च 2021 को एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम, वीवीजीएनएलआई द्वारा *'प्रौद्योगिकी और कार्य का भविष्य'* पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में सभी संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो ने किया।

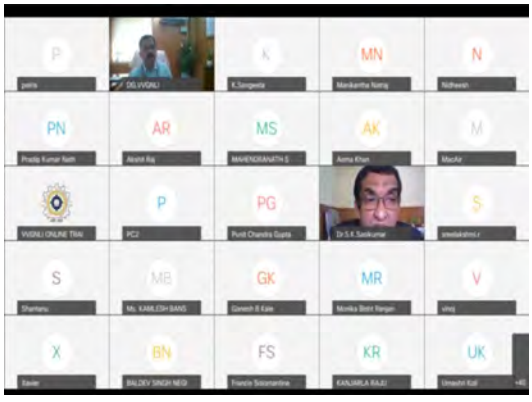

- iLrdky; ,o lpuk ç.kkyh% संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,544 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 148 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान ने नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण '^,yvkbch, lokbl, l 10 blt ch^^ खरीदा है।

- vk/kfud Hkkjr dk vkdkj nu e Je dh Hkfedk ij çdk'k Mkyuk% संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) e Je bfrgkl d egRoi.k nLrkot d yxHkx 190000 i t fMftVy :Ik e viykM fd; x, gA

- jktHkk"kk dk c<kok nuk&वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया: :
- वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के *राजभाषा कीर्ति पुरस्कार* की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के तहत *'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार* ।
- वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा iFke iqjLdkj ¼py oStk;rh ,oa çFke 'khYM½।

डॉ. सजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
वीवीजीएनएलआई पुरस्कार ग्रहण करते हुए

# संस्थान का विज़न और मिशन

## fo t u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

## fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

# lLFkku dk vf/kn'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

## mn~n'; vkj vf/kn'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं एवं अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

# lLFkku dh lajpuk

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। महापरिषद् संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासन अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख हैं; लेखा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

## egkifj"kn dk xBu

1. श्री संतोष कुमार गंगवार — अध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

## dsUnz ljdkj dh N% çfrfuf/k

2. श्री अपूर्व चंद्रा, आईएएस — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

3. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, आईडीएएस — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्रीमती शिवानी स्वाइं, आईईएस
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली—110001

5. सुश्री कल्पना राजसिंहोत, आईपीओएस
संयुक्त सचिव — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली—110001

6. श्री अमित खरे, आईएएस — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110001

7. श्री के. राजेश्वर राव, आईएएस — सदस्य
विशेष सचिव
(कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार)
नीति आयोग
नई दिल्ली—110001

## nk lln lnL;
## ¼ykd lHkk vkj jkT; lHkk l ,d&,d½

8. डॉ. वीरेंद्र कुमार — सदस्य
माननीय सांसद (लोक सभा)
22, महादेव रोड़
नई दिल्ली—110001

9. श्री कामाख्या प्रसाद तासा — सदस्य
माननीय सांसद (राज्य सभा)
157, साउथ एवेन्यु
नई दिल्ली—110001

## deldkjk dk nk çfrfuf/k

10. श्री बी. सुरेंद्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट, पेराम्बूर
चेन्नई–600011 (तमिलनाडु)

11. श्री सुकुमार दामले — सदस्य
राष्ट्रीय सचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन,
35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

## fu;kDrkvk dk nk çfrfuf/k

12. श्री रोहित भाटिया — सदस्य
निदेशक
एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्य पुरी
नई दिल्ली – 110021

13. श्री अरुण शुक्ला — सदस्य
उप महासचिव
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की)
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली – 110001

## pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgkau Je dk {k= es vFkok mlls lcf/kr {k=k es mYys[kuh; ;kxnku fn;k g

14. श्री पी. के. गुप्ता — सदस्य
कुलाधिपति
शारदा विश्वविद्यालय
ग्रेटर नौएडा (उ. प्र.)

15. श्री राजा एम. शणमुगम — सदस्य
अध्यक्ष
तिरुपुर निर्यातक संघ
62, अप्पाची नगर मेन रोड़
कोंगू नगर
तिरुपुर – 641607

16. श्री सतीश रोहतगी — सदस्य
डॉ. बद्री प्रसाद क्लीनिक के सामने
बड़ा बाजार
बरेली (उ. प्र.)

17. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ
कार्यालय – राम नरेश भवन
तिलक गली, चूना मंडी
पहाड़गंज, नई दिल्ली – 110055

## vuqlU/kku laLFkkuksa ds çfrfuf/k

18. श्री विपुल मित्रा, आईएएस . — सदस्य
अपर मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)/
महानिदेशक
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर
अहमदाबाद–380054 (गुजरात)

## oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk ds çfrfuf/k

19. डॉ. एच. श्रीनिवास, आईआरपीएस — सदस्य–सचिव
महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला. गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

# vuqla/kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है।

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित नौ केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
2. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
3. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
4. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
5. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
6. श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
7. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
8. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

# Je ckt kj v/;;u dn

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- कार्य का भविष्य

## *ijh dj yh xbl ifj;ktuk,*

### 1- dk'ky vkj dk;l dh cnyrh nfu;k

(श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया अनुसंधान अध्ययन)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क, जिसे 2017 में स्थापित किया गया था, में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस नेटवर्क के अन्य संस्थान इस प्रकार हैं: नेशनल लेबर मार्किट ऑब्जर्वेटरी ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ दि रशियन फेडरेशन; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चाईना; तथा यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।

इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम से संबंधित समकालीन चिंताओं पर अनुसंधान अध्ययन करना और मजबूत, टिकाऊ एवं समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने ब्रिक्स देशों में कार्य की बदलती दुनिया में कौशल आपूर्ति और मांग के विभिन्न आयामों से संबंधित एक अनुसंधान अध्ययन किया था; इसका उद्देश्य बेहतर जानकारी युक्त नीति बनाने के लिए ब्रिक्स देशों में तुलनीय साक्ष्यों और नीति विकल्पों को एकत्र करना, साझा करना और उन पर चर्चा करना था।

### mnn' ;

यह अनुसंधान अध्ययन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था: (i) भारत में श्रम आपूर्ति और मांग में प्रवृत्तियों को उजागर करना; (ii) उन नौकरियों और कौशलों का विश्लेषण करना जो कार्य की दुनिया में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सबसे अधिक प्रभावित होंगे;

(iii) उन कौशलों को उजागर करना जिनकी मांग अधिक है या जिनकी मांग में गिरावट है; (iv) कौशल बेमेल का आकलन करना; (v) नए रोजगार संबंधों के उभरते हुए प्रकारों की जांच करना; और (vi) सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत ढांचे पर चर्चा करना एवं सुझाव देना कि परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे कैसे पुनः उन्मुख किया जा सकता है।

## Ikfj.kke

भारत में, जहाँ लगभग आधी कामकाजी आबादी ने केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षा पाई है, और लगभग 85 प्रतिशत कामकाजी आबादी के पास निम्न स्तर का कौशल है, आर्थिक विकास के लिए कौशल आधार को बढ़ाने हेतु एक व्यापक नीति पहली आवश्यकता है। कौशल को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक वर्षों (प्राथमिक और माध्यमिक की कक्षाओं में) में मजबूत मूलभूत कौशल के निर्माण की एक एकीकृत कार्यनीति बनाना और प्रतिवर्ष श्रम बाजार में शामिल होने वाले 5–7 मिलियन श्रम बल को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा प्रदान करना भी आवश्यक है। कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को समस्या–समाधान कौशल (महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक सोच में सहायता करने के लिए), सीखने के कौशल (नए ज्ञान के अधिग्रहण को सक्षम करने के लिए), और सामाजिक कौशल (सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए) पर ध्यान देने के साथ आजीवन सीखने की प्रणाली की दिशा में बढ़ना चाहिए। कौशल विकास केंद्रों के पाठ्यक्रम में हमेशा तकनीकी और समस्या–समाधान कौशल का एक विवेकपूर्ण संयोजन शामिल होना चाहिए। 'कार्य के दौरान प्रशिक्षण' पर जोर दिया जाना चाहिए। श्रमिकों, विशेष रूप से युवा श्रमिकों को कौशल अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिए फर्मों को सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। हालांकि 2014 में शिक्षुता अधिनियम में संशोधन ने भारत में युवा प्रशिक्षुओं के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है, युवाओं को कौशल प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने की कार्यनीति के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दुनिया भर में सफल शिक्षुता प्रणालियों के आकलन से संकेत मिलता है कि एक दोहरी प्रणाली जो काम और स्कूल–आधारित शिक्षा को जोड़ती है, पूर्णकालिक रोजगार में संक्रमण के लिए आदर्श हो सकती है। इस दृष्टिकोण की मूलभूत शक्तियों में से एक नियोक्ताओं द्वारा उच्च स्तर का प्रोत्साहन और स्वामित्व होना है।

कार्य की दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करने वाली एक केंद्रीय विशेषता के रूप में तेजी से उभर रही तकनीकी प्रगति के साथ, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ डिजिटल कौशल के अधिग्रहण को बढ़ावा देने से युवाओं की रोजगार क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। भविष्य की उभरती मांगों के साथ तालमेल रखने के उद्देश्य से डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और इंटरनेट के क्षेत्र में कौशल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसकी शुरुआत मूलभूत स्तर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से होती है। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में गैर–संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नरम कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) की मांग में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्हें प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापित करना मुश्किल है।

एक ऐसा मंच, जो बाजार की मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल की आपूर्ति करता है, प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसडीई द्वारा पहले ही असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण), एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल शुरु किया गया है। यह न केवल वर्तमान और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के मूल्यांकन को सक्षम करेगा, अपितु यह क्षेत्रक व्यावसायिक पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने, कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं को लक्षित करने में भी मदद कर सकता है, और अंततः भारत में श्रम बाजार सूचना प्रणाली में सुधार करेगा।

### v/;;u dk 'k# ,o iijk djus dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2020 में शुरु, एवं दिसम्बर 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो)**

### Ekkeyk v/;;u

- प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करनाः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रियाएं
  *– डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो*

### tkjh vuql/kku ifj;kstuk

#### 1- fcDl bfM;k 2021&fxx ,o IysVQ,el Jfed% Je cktkj e Hkfedk ij b'';w iij

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैंः ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

***गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका पर इश्यू पेपर*** ब्रिक्स देशों में प्लेटफॉर्म के काम का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। यह ब्रिक्स देशों में प्लेटफार्मों की संख्या, इन प्लेटफार्मों में वित्त पोषण या निवेश और पिछले एक दशक में उनके द्वारा सृजित राजस्व के कुछ अनुमान प्रस्तुत करता है। यह डेटा से संबंधित कुछ अस्पष्टताओं और प्लेटफ़ॉर्म कार्य से संबंधित निश्चित पहलुओं को प्रस्तुत करता है तथा सहायक साहित्य के आधार पर ब्रिक्स देशों में प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों से संबंधित कुछ अवसरों और चुनौतियों का पता लगाता है। यह इश्यू पेपर प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किए गए विनियामक उपायों की भी जांच करता है। अंतिम खंड चर्चा के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

इस परियोजना से संबंधित कार्य फरवरी 2021 में शुरू किया गया था।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो)**

## çe[k dk;'kkyk,@lEeyu

- ^djy dh tkc pukfr;k dk le>uk^ ij dk;'kkyk

इस कार्यशाला का आयोजन वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान (केआईएलई) के सहयोग से 25–26 अगस्त 2020 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: 1) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार परिदृष्य में उभरते रुझानों का अवलोकन प्रदान करना; 2) केरल में श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना; 3) केरल में रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिल फेनॉमिना को समझना; 4) रोजगार सृजन में श्रम बाजार सर्वेक्षण करने और रणनीति बनाने के लिए क्षमता निर्माण। इस कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं, शोधकर्ताओं, श्रम विभाग के अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों सहित केरल से 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और सुश्री एम. शजीना, कार्यकारी निदेशक, केआईएलई ने विशेष व्याख्यान दिया। आमंत्रित वक्ताओं में ये शामिल थे: डॉ. जयन जोस थॉमस, आईआईटी दिल्ली एवं सदस्य, केरल राज्य योजना बोर्ड; डॉ. सुरजीत दास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; डॉ. शायजन डी., कालिकट विश्वविद्यालय। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और केआईएलई, तिरुवनंतपुरम की ओर से श्री किरण ने किया।

- ^Jfed çoklu% ennn vkj vkx dh jkg^ ij vkuykbu jk"Vh; dk;'kkyk

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 15 सितम्बर 2020 को 'श्रमिक प्रवासनः मुद्दे और आगे की राह' पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया और कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया।

कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: श्रमिक प्रवासन प्रवाह के सभी रूपों का पता लगाने में डेटा के मौजूदा द्वितीयक स्रोतों की प्रभावशीलता कितनी है?; सभी क्षेत्रों में और समय के साथ श्रम प्रवासन प्रवाह के हालिया और प्रमुख रुझान एवं पैटर्न क्या हैं? श्रम विनियम और सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम (जैसे मनरेगा) विभिन्न प्रकार के प्रवासन प्रवाह को कैसे प्रभावित करते हैं?; कोविड–19 महामारी के बाद प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अल्पकालिक और परिचल प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख सुभेद्यताएं क्या हैं?; प्रवासी कामगारों की असुरक्षा को कम करने में विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए उपाय कहाँ तक प्रभावी रहे हैं? और तीव्र बदलाव, अनिश्चितता और व्यवधान के समय में हम श्रमिक प्रवासन और कार्य के भविष्य के प्रतिच्छेदन को कैसे देखते हैं?

कार्यशाला के विचार–विमर्श को दो पैनल चर्चाओं में आयोजित किया गया।

### iuy ppk I

- श्री मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव (श्रम), बिहार सरकार

- श्री विरजेश उपाध्याय, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)
- श्री राहुल बनर्जी, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख – कारपोरेट मामले, क्वेस कॉर्प लिमिटेड अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई)

## iSuy ppkZ II

- डॉ. के. रवि रमन, सदस्य, राज्य योजना बोर्ड, केरल
- डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन इंडिया (पीआरआईए)
- डॉ. एस. चंद्रशेखर, प्रोफेसर, इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान

पैनल प्रस्तुतीकरण के पश्चात व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

इस ऑनलाइन कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ^dksfoM&19 vkSj Hkkjr ds Je cktkj ij bldk çHkko^ ij v,uykbu jk"Vªh; dk;Z'kkyk

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 26 मार्च 2021 को 'कोविड–19 और भारत के श्रम बाजार पर इसका प्रभाव' पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया: क) रोजगार के स्तर पर कोविड–19 लॉकडाउन के प्रभाव क्या हैं? ख) यह पता लगाना कि लिए कोविड के बाद की स्थिति में श्रम बाजार की गतिशीलता कैसी है और इन हालिया परिवर्तनों ने युवाओं और महिलाओं के रोजगार पर कितना प्रभाव डाला? ग) कोविड के बाद की स्थिति के इस गतिशील परिवर्तन का निरूपण करने के लिए डेटा के मौजूदा स्रोत कितने प्रभावी हैं? घ) विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए उपाय प्रवासी श्रमिकों, स्वनियोजित और गिग श्रमिकों आदि सहित सबसे कमजोर कार्यबल की असुरक्षा को कम करने में कितने प्रभावी रहे हैं?

कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया, जिसके बाद विशेष ज्ञों द्वारा दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। विशेषज्ञों के पैनल में ये शामिल थे: श्री शबरी नायर, दक्षिण एशिया के श्रम प्रवासन विशेषज्ञ, डीडब्ल्यूटी आईएलओ– नई दिल्ली; प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी); सुश्री मृदुला घई, निदेशक–पीडीयूएनएएसएस और अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ अनुजा श्रीधरन, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ; श्री सी. के. सजीनारायण, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ; श्री वी के मिश्रा, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली। डॉ. धन्या एमबी, वीवीजीएनएलआई ने युवा रोजगार पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और सिविल सोसायटी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल करने वाले शोधकर्ताओं सहित 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एमबी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

# कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरे विश्व में श्रम बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अकेले कृषि क्षेत्र को सभी ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रूप से समा लेने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी रोजगार पैदा करने में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए योगदान महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तृत शोध करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित प्रमाण हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजारों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन जटिलताओं का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण श्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

## व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की ओर देख रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती है। अपने पैमाने और दायरे में, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी कल्पना मानव जाति ने नहीं की होगी।

विशेष रूप से कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल यह महत्वपूर्ण है कि कठिन कौशल को तेज और कुशल बनाने की आवश्यकता है, बल्कि नरम कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) को कार्य संस्कृति से संरेखित करने की भी आवश्यकता है। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सॉफ्ट स्किल्स, व्यवहारिक और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप से व्यक्तियों और उस संगठन, जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और कार्यस्थल पर संस्कृति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। सॉफ्ट स्किल्स में लोगों के कौशल, सामाजिक कौशल, विशेषता और व्यक्तिगत खासियतें, दृष्टिकोण, कैरियर विशेषताएँ, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धि शामिल हैं, जो लोगों को

दिन–प्रतिदिन के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और कर्मचारियों; विभिन्न विभागों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों; सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों; पंचायती राज संस्थानों; ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि के व्यवहार और व्यवहार संबंधी कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र विभिन्न संगठनों जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, आदि के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के साधन और तकनीक यथा मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधन खेल, अभ्यास, अनुभवात्मक साझाकरण आदि शामिल हैं।

## iwjh dj yh xbZ ifj;kstuk,¡

### 1- —f"k ladV dk le>uk% mHkjrh pqukSfr;k¡

#### mn~ns';

- यह अनुसंधान अध्ययन जमीनी स्तर पर कृषि संकट का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र के गतिशील और सतत विकास के लिए एक कार्यनीति विकसित करना है।

#### ifj.kke

यह अध्ययन राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि संकट की गंभीरता को उजागर करता है। यह राष्ट्र की आर्थिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन, नई कृषि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन का प्रस्ताव करता है जो ग्रामीण परिवारों में गरीबी का समाधान करेगा।

#### v/;;u dk 'kq: ,oa iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को जनवरी 2020 में शुरू, एवं अक्तूबर 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)**

## 2- —f"k ladV dks le>uk% mRiknu] jkstxkj ,oa mHkjrh pqukSfr;ksa dk v/;;u

### mn~ns';

- यह अनुसंधान अध्ययन विभिन्न आयामों से भारत में वर्तमान कृषि संकट की जांच करने पर केंद्रित है और इसके अंतर्निहित कारणों को समझने की कोशिश करता है ताकि एक डिजाइन रणनीति की अवधारणा की जा सके जो देश में कृषि के गतिशील विकास और सतत विकास का समर्थन करे।
- अध्ययन विशेष रूप से मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया, रोजगार और उत्पादकता के पैटर्न और कृषि में हर उभरती चुनौती की जांच करने का इरादा रखता है।

### ifj.kke

यह अध्ययन बताता है कि अनुसंधान क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, क्षेत्र की आबादी शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए पलायन कर रही है क्योंकि रोजगार के कम अवसर मौजूद हैं। यह भी पाया गया कि 30–50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोविड–19 के कारण अपना रोजगार खो दिया है और 70–80 प्रतिशत कृषि की संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। अध्ययन में संबंधित हितधारकों को ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में निवेश करने और रोजगार सृजन के लिए संबद्ध कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

### v/;;u dk 'kq: ,oa iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को नवम्बर 2020 में शुरू एवं मार्च 2021 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)**

### Ekkeyk v/;;u

- कर्मकार प्रतिकर अधिनियमः एक मामला अध्ययन – डॉ. शशि बाला, फेलो

## *çeq[k dk;Z'kkyk,a*

- **vkfnoklh vkSj xzkeh.k ;qokvksa ds fy, dkS'ky fodkl% lekos'k vkSj volj ij v,uykbu jk"Vªh; dk;Z'kkyk%**

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, उत्तर प्रदेश ने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूसिव पॉलिसी, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु के सहयोग से 'आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकासः समावेश

और अवसर' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला ने शिक्षाविदो; शोधकर्ताओं; पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों; एनजीओ और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों; कौशल विकास संस्थानों को आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के समावेश और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास की आवश्यकता के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक अवसर और एक मंच प्रदान किया।

कार्यशाला के उप विषय निम्न प्रकार थेः

1. आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के सामने कौशल विकास की चुनौतियाँ।
2. आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर।
3. आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना।
4. आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास से संबंधित समावेशन नीतियों पर चर्चा करना।
5. समावेशी और सार्थक कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार, सिविल सोसायटीर और निजी क्षेत्र की पहल।

कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

- urRo dh dyk ij v,uykbu dk;'kkyk

इस कार्यशाला का उद्देश्य संकट के दौरान गतिशील परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं और दूसरों का अन्वेषण करना था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनकी नेतृत्व शैली का मानचित्रण और विश्लेषण करने, प्रभावी नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए कार्यनीति तैयार करने में मदद करना था। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया और इसमें सरकारी अधिकारियों, मानव संसाधन पेशेवरों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और परास्नातक के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

# jk"Vªh; cky Je lalk/ku dsUnz ¼,uvkjlhlh,y½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं का विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एनआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं: अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल / मॉड्यूल / पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता / सलाहकार सेवाएं / परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

## vuqla/kku

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और अनुसंधान अध्ययनों में निवारक उपाय विकसित करने के उद्देश्य से समस्या की भयावहता, आयाम और श्रम शोषण में बच्चों के निर्धारक जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिकों की कमजोरियां एवं असुरक्षिताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी रूपरेखा और कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशाएं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने ऐसे कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के अपराध के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।
2. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनः एकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियां विकसति करना।
3. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।
4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।
5. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।

## iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

### 1- cky Je eqDr Hkkjr dh fn'kk esa% cky Je dkuwuksa esa la'kks/kuksa rFkk varjk"Vªh; vfHkle;ksa ds vuqleFkUk ds vk/kkj ij cky Je dh jksdFkke vkSj iquokZl ij jkT; ,oa ftyk&Lrjh; cgq&fgr/kkjdksa dh {kerk dk fuekZ.k ¼Qst&3½

बाल श्रम सबसे अधिक उल्लंघन किए जाने वाले मानवाधिकारों में से एक है। बच्चों के श्रम शोषण की घटना, जो उन्हें उनके अवसरों और अधिकारों से वंचित करती है, जिससे उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल और शोषणकारी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने कई पहल की हैं और देश भर में बाल श्रम को रोकने और उस पर अनुक्रिया करने के लिए व्यवस्थित प्रयास भी किए हैं। बाल श्रम को रोकना और उस पर अनुक्रिया करना एक चुनौती है जिसके लिए सामाजिक भागीदारों और हितधारकों की अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस क्षमता निर्माण परियोजना को पूरा किया है और एक पुस्तिका ''टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया हैंडबुक ऑन प्रिवेंटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टु चाइल्ड लेबर'' प्रकाशित की है, जो बाल श्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ बुनियादी सवालों पर स्पष्टता प्रदान करने वाली उपयोगी जानकारी का एक संग्रह है। यह बाल श्रम की अवधारणा, परिमाण और रूपों, कानून और नीति, न्यायिक हस्तक्षेप और बाल श्रम को रोकने और अनुक्रिया करने के उद्देश्य से अन्य पहलों पर एक स्पष्ट तरीके से रीडिंग प्रदान करती है। इसक उद्देश्य बाल श्रम पर बुनियादी जानकारी को आसानी से उपलब्ध बनाना है, जो सामान्य रूप से बाल संरक्षण और बाल अधिकार, और विशेष रूप से बाल श्रम के मुद्दों को देखने वाले विभिन्न लाइन विभागों के सरकारी पदाधिकारियों, श्रम कानून प्रवर्तन अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों,

स्थानीय सरकारों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य सामाजिक भागीदारों एवं हितधारकों के लिए उपयोगी होगी।

इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक साझेदारों और हितधारकों को बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले शहरों और जिलों में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विकसति मॉड्यूल और पुस्तिका का उपयोग करके बहु–हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य बाल श्रम का मुकाबला करने हेतु अनुप्रयोग और उपयोग के लिए सीखने को बनाए रखना भी था। व्यवस्थित तरीके से सुविधा के लिए सीखने का हस्तांतरण और ज्ञान और कौशल प्राप्त करना। बाल श्रम की व्यापकता के लिए जाने जाने वाले राज्य/जिले ऐसे लक्षित क्षेत्र थे जहां एनसीएलपी परियोजना समितियां पहले से मौजूद हैं और वे क्षेत्र जहां गरीबी, सामाजिक असमानता, या निम्न शैक्षिक स्तर के कारण बाल श्रम विशेष रूप से फंसे हुए हैं या जहाँ ग्रामीण–शहरी प्रवासन के कारण बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही थी। परियोजना का फोकस गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा जाल, आजीविका सहायता, और प्रोत्साहन प्रदान करने के महत्व को उजागर करने पर था जो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में और काम से बाहर रखने में मदद करेगा।

## ifj.kke

यद्यपि बाल श्रम के मुद्दों से निपटने वाले विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों और प्रक्रियाओं में विधिवत वर्गीकृत कार्य के विभिन्न रूपों में बच्चों पर जानकारी प्रदान करने वाली एक पुस्तिका भी विकसित और प्रकाशित की गई थी। बाल श्रम के वैचारिक और निश्चित पहलुओं पर चर्चा करते हुए पुस्तिका के विभिन्न खंड समस्या के परिमाण, प्रवृत्तियों और भौगोलिक प्रसार के साथ विधिवत रूप से संदर्भित उन परिस्थितियों जो उन्हें काम में धकेलती हैं और जिन स्थितियों में वे काम करते हैं तथा मांग एवं आपूर्ति पक्ष के कारकों भी पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों और किशोरों के श्रम शोषण को रोकने और उस पर अनुक्रिया करने की दिशा में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ विधियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को निर्दिष्ट करते हुए उनकी क्षमता विकसित की गई थी। हाल के वर्षों में बाल श्रम कानून के मुद्दे से संबंधित श्रम सुधारों के विकास के आलोक में अभिसरण मॉडल को परिष्कृत किया गया है और ज्ञान–साझाकरण एवं नेटवर्किंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के बीच और इनमें से प्रत्येक स्तर के अंदर संबंधों को मजबूत किया गया। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सामान्य रूप से बाल संरक्षण के समन्वय संरचनाओं एवं तंत्र और विशेष रूप से बाल श्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

### अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को फरवरी 2020 में शुरु, एवं अगस्त 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो)**

## Ekkeyk v/;;u

मत्स्य पालन समुदायों और मत्स्य पालन आजीविका पर चक्रवात और अन्य आपदाओं का प्रभावः भारत में चुनिंदा राज्यों का मामला अध्ययन (फेज 1)—डॉ हेलन आर सेकर, सीनियर फेलो

## tkjh ifj;kstuk,a

### 1- dkfoM &19 egkekjh] mlds ckn ds ykWdMkmu ,oa çfrykse çoklu ds enns utj cèkqu dh pqukSfr;ka] vlqj{kkvksa vkSj detksfj;ksa dk irk yxkuk vkSj cèkqvk etnwjksa dh igpku] fjgkbZ ,oa iquokZl ds fy, ,Mokbtjh fodflr djuk

वीवीजीएनएलआई बंधुआ मजदूरी और संबंधित पहलुओं के मुद्दों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ मजदूरों को तत्काल पुनर्वास का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपने बंधुआ श्रम का 'उपयुक्त पुनर्वास' करने के लिए संघ का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी; और अनुच्छेद 23, ऋण बंधन एवं जबरन मजूदरी या गुलामी के अन्य रूपों के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए भी आवश्यक है। भारत सरकार ने 1978 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक समर्पित सरकारी योजना के माध्यम से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किया है। इस योजना में पिछले कुछ वर्षों में दो संशोधन हुए हैं। 2016 में, सरकार ने 'बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए नई केंद्रीय सैक्टर योजना' को अपनाया। इस योजना के माध्यम से सरकार ने रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास नकद सहायता बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना। यह योजना नकद मुआवजा प्रदान करके बंधुआ मजदूरी में फंसे विभिन्न समूहों की जरूरतों का पता लगाती है। बीएलआर योजना के तहत पूर्ण पुनर्वास नकद सहायता अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के परिणाम से जुड़ी है।

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से सामाजिक—आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बेहतर आर्थिक और रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले कारकों का पता लगाना है। उनके अलग—थलग कार्यस्थलों की स्थितियों में उनके बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच बनाने में आने वाली बाधाओं और उनके गंतव्य में सांस्कृतिक और भाषायी अंतर का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोविड—19 महामारी और उसे बाद के लॉकडाउन के कारण प्रतिलाम प्रवासन के मद्देनजर बुनियादी सामाजिक सेवाओं और आजीविका तक पहुँच बनाने में आने वाली चुनौतियों, असुरक्षाओं और कमजोरियों की पहचान करना भी है।

### v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को सितंबर 2020 में शुरु किया गया, एवं जुलाई 2021 तक पूरा किया जाना है।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो)**

## çeq[k dk;Z'kkyk,@lEesyu@rduhdh ijke'kZ

- 'dkfoM&19% cPpk dk cky Je l lj{k.k] vc igy l dgh T;knk^^ ij jk"Vªh; fgr/kkjd ofcukj

श्रम के विभिन्न रूपों में काम कर रहे बच्चों की दुर्दशा को उजागर करने और बाल श्रम के खिलाफ दुनिभाभर के आंदोलन के एक उत्प्रेरक, जो कि बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर आईएलओ अभिसमय संख्या 182 एवं रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी पर आईएलओ अभिसमय संख्या 138 सहित अनेक अनुसमर्थनों में परिलक्षित होता है, के रूप में काम करने के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईएलओ डीडब्ल्युटी/सीओ इंडिया और केएसएफ के साथ मिलकर आईएलओ द्वारा सबसे पहले वर्ष 2002 में शुरु किए गए 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्युडीएसीएल)' को मनाने के लिए 12 जून 2020 को *'कोविड–19: बच्चों का बाल श्रम से संरक्षण, अब पहले से कहीं ज्यादा''* पर एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन किया। एजेंडा और वेबिनार के लिंक का वीवीजीएनएलआई की वेबसाइट में अपलोड किया गया तथा विभिन्न हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों को सूचित भी किया गया।

बाल श्रम के खिलाफ अभियान में सरकार, आईएलओ, सामाजिक भागीदारों, मीडिया, सिविल सोसायटी संगठनों, युवा समूहों, महिला समूहों और अन्य लोगों का अधिक समर्थन हासिल करने के उद्‌देश्य के साथ इस वर्ष का फोकस बाल श्रम पर कोविड–19 के प्रभाव पर था। इस वेबिनार ने बाल श्रम पर कोविड–19 संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया, जो इसके शीर्षक 'कोविड–19: बच्चा का बाल श्रम से संरक्षण, अब पहले से कहीं ज्यादा' में परिलक्षित होता है। वेबिनार का आयोजन इस पृष्ठभूमि के साथ किया गया था कि कोविड–19 स्वास्थ्य महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगे आर्थिक और श्रम जगत के झटके लोगों के जीवन और आजीविका पर काफी प्रभाव डाल रहे हैं। यह संकट लाखों कमजोर बच्चों को बाल श्रम में धकेल सकता है। दुनिया भर की सरकारें महामारी को रोकने और कम करने के लिए व्यापक कदम उठा रही हैं। सर्वोत्तम प्रथाओं, सही नीति विकल्पों और उन्हें लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई के आधार पर हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका उद्‌देश्य बाल श्रम में लगे या बाल श्रम के जोखिम वाले सभी बच्चों की रक्षा के लिए संदेष फैलाना और यह सुनिश्चित करना था कि वे कोविड–19 अनुक्रिया में प्राथमिकता में हैं। इसके अलावा, इसका उद्‌देश्य प्रयासों में शामिल होने के लिए सभी भागीदारों का आह्वान करना और निम्नलिखित सिफारिशों, जो बाल श्रम से लड़ने के लिए प्रभावी साबित हुई हैं, को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दोहराना था: श्रमिकों और उनके परिवारों की रक्षा करना एवं आजीविका सहायता प्रदान करना; सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना; बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना, भागीदारी बढ़ाना और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना। इस वेबिनार का उद्‌घाटन श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। श्री कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने की। वेबिनार के उद्घाटन सत्र में सुश्री डगमर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ इंडिया; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

इसमें 'कोविड–19: बच्चों का बाल श्रम से संरक्षण – सभी क्षेत्रों में' और 'पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुँचने में बाधाओं और समाधानों पर एक संवाद' विषय पर दो तकनीकी सत्र थे। डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई इस वेबिनार के पहले तकनीकी सत्र के लिए संसाधन व्यक्तियों में से एक थीं। तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता श्री जी अशोक कुमार, अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, (एमओडब्ल्युआर, आरडी एंड जीआर) ने की। अन्य संसाधन व्यक्तियों में श्री इंसाफ निजाम (बाल श्रम पर आईएलओ विशेषज्ञ), सुश्री मनाली शाह, राष्ट्रीय सचिव, स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा) और श्री संजय भाटिया, सदस्य, कार्यकारी समिति, एआईओई शामिल थे। इस वेबिनार का दूसरा तकनीकी सत्र 'पुनर्वास कार्यक्रमों और समाधानों तक पहुँचने में बाधाएं' पर था। इस सत्र के संसाधन व्यक्तियों में प्रो. फैजान मुस्तफा, कुलपति, एनएएलएसएआर, हैदराबाद; श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर और श्री बी. एल. सोनी, डीजीपी, राजस्थान शामिल थे। इस वेबिनार का समन्वय डॉ. हेलन आर सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ,ulh,yih ds v/;{kksa ds fy, ^isafly iksVZy^ ij vkuykbu izf'k{k.k dk;Z'kkyk

एनसीएलपी के अध्यक्षों के लिए 'पेंसिल पोर्टल' पर एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 17 सितम्बर 2020 को किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति को सावधानीपूर्वक दर्ज करने पर प्रकाश डालना; पेंसिल पोर्टल के स्टाइपेंड (वजीफा) मॉड्यूल पर जोर देना; डीएससी का पंजीकरण; लाभार्थी सत्यापन और अन्य संबंधित पहलू। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को वजीफा जारी करने को सक्षम बनाना और एनसीएलपी जिलों द्वारा पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति को अपलोड करने, डीएससी, लाभार्थी डेटा, क्यूपीआर, एपीआर, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि के पंजीकरण के संबंध में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना था।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यशाला का उद्‌घाटन किया एवं उद्‌घाटन व्याख्यान दिया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया। सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'प्रचालन चुनौतियांः एक सिंहावलोकन' पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। बाल श्रम प्रभाग, एमओएलई के अधिकारियों ने पेंसिल पोर्टल के विभिन्न पहलुओं और जिला–विशिष्ट चुनौतियों पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने परस्पर संवादात्मक सत्र का संचालन किया, इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन और समन्वय किया।

- ## 26 uocj 2020 dks *ca/kqvk Je iquokZl esa leUo; vkSj vfHklj.k* ij ,d jk"Vh; Lrj dk bZ&ijke'kZ

अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के सहयोग से *'बंधुआ श्रम पुनर्वास में समन्वय और अभिसरण'* पर एक ई–परामर्श 26 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस परामर्श का उद्‌देश्य बचाए गए बंधुआ श्रमिकों/बेगारों, प्रवासियों और, तस्करी पीड़ितों के स्थायी पुनर्वास के लिए राज्यों की प्रासंगिक योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के अनुभव और कार्यान्वयन वास्तविकताओं को साझा करने के साथ–साथ राज्यों को संभावित दिशानिर्देशों के माध्यम से बीएलआर योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए समाधानों की पहचान करने की दिशा में हितधारकों, सीएसओ और सरकारी अधिकारियों से सुझाव लेना था। इस परामर्श का उद्‌घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने परामर्श के अपने उद्‌घाटन भाषण में विभिन्न आईएलओ सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिल और दिमाग के दृष्टिकोण के साथ बंधुआ मजदूरी के मुद्‌दे की दिशा में काम करने की अवधारणा पेश की। उन्होंने बंधुआ मजदूरों की सफलतापूर्वक पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए कानून के उचित कार्यान्वयन के लिए सुग्राहीकरण जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने बंधुआ मजदूरी से बचाए गए लोगों के समग्र पुनर्वास के लिए इस मुद्‌दे को प्रभावी ढंग से मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया। उन्होंने इसे संबोधित करने में सभी को एक हितधारक बनाने का भी सुझाव दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कानून और व्यवस्था, श्रम, महिला और बाल आदि जैसे विभागों में समन्वय और अभिसरण को एक साथ लाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और संवेदीकरण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवहार से निपटने के लिए संसद ने श्रम संहिता को लागू किया है। उनके अनुसार, ये संहिताएं न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर देने के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने श्रम संहिता से अधिकतम लाभ के लिए श्रम अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया। शिकायत निवारण हेतु किसी विशेष संस्थान तक पहुंचने के लिए श्रमिकों को जागरूक होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी के पीछे प्राथमिक मुद्‌दा बेरोजगारी और संसाधनों का असमान वितरण है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, उचित वेतन और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान वर्तमान स्थिति को सुधार सकता है। नियोक्ताओं को विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों के लिए अपने कर्मचारियों की वार्षिक जांच के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

# jkt xkj lc/k vkj fofu;eu dn

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

## tkjh ifj;kt uk

### 1- vk|kfxd lc/kk ij pfunk ÁFkkvk dk nLrkoth dj.k

औद्योगिक संबंध प्रबंधन और उद्योग से जुड़े श्रमिकों के बीच के संबंध हैं। इन दोनों पक्षों के हित समान होने के साथ–साथ परस्पर विरोधी भी होते हैं। स्वस्थ औद्योगिक संबंध न केवल इन दोनों पक्षों के हित में हैं बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्र के हित में भी हैं। इसलिए, स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। औद्योगिक संबंधों के कुछ प्रमुख तत्वों में उद्योग और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी शामिल हैं। न केवल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के संगठन विभिन्न उपरोक्त पहलुओं यानी परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। किसी भी संगठन में औद्योगिक संबंधों की समग्र स्थिरता उस सीमा तक निर्भर करती है जिस सीमा तक संगठन इन उपायों को लागू करने में सफल होता है। इसी संदर्भ में यह वर्तमान अध्ययन शुरू किया गया है।

#### mnn';

- सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित औद्योगिक संबंध प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना;

- स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त विधिक और विधि इतर उपायों के लिए सिफारिशें करना।

**dk;|ç.kkyh%** यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होगा। हालाँकि, जरूरत पड़ने पर यह जरूरत के अनुसार साक्षात्कार अनुसूची और समूह चर्चा का उपयोग भी कर सकता है।

**or|eku fLFkfr%** यह अध्ययन साहित्य समीक्षा के चरण में है।

## v/;;u dk 'k# ,o iljk djus dh frfFk

अध्ययन को दिसंबर 2019 में शुरु किया गया। हालांकि, अध्ययन शुरू होने के तुरंत बाद कोविड–19 महामारी के कारण परियोजना पर काम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)**

## ekeyk vè;;u

- सिविल सोसाइटी द्वारा लोगों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणः मुर्शिदाबाद जिला पीपुल्स एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का एक मामला अध्ययन–डॉ संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो
- आउटरीच और पक्षसमर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार, श्रम और विकास पर संवेदीकरणः तीन विशेष कार्यक्रमों, जिनमें वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने भाग लिया, का मामला– श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिया, एसोसिएट फेलो
- नई मजदूरी संहिता पर जागरूकताः मामला अध्ययन – डॉ धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो
- रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक संबंध संहिताः संगठित गैर–कृषिगत क्षेत्र का मामला–डॉ मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो

## Áe|[k dk;|'kkyk

### ▪ *vk|kfxd lac/k lafgrk] 2020* ij ,d vkuykbu dk;|'kkyk ¼17 ekp| 2021½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 17 मार्च 2021 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020’ पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

**lnHk%** उद्योग और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों से संबंधित श्रमिकों की लंबे समय से महसूस की जाने वाली आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वर्तमान सरकार ने संहिताकरण की

प्रक्रिया अपनाते हुए श्रम कानून सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद श्रम कानूनों का चार प्रमुख संहिताओं में संहिताकरण किया जाना था, शुरू की। ये प्रमुख श्रम संहिताएं हैं: (i) मजदूरी संहिता; (ii) औद्योगिक संबंध संहिता; (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता; और (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता। ये संहिताएं विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों की मुख्य विशेषताओं को समाहित, सरल और युक्तिसंगत बनाते हैं। ये संहिताएं काफी व्यापक हैं और शीर्ष प्राथमिकता के अनेक पुराने मुद्दों, जो न केवल उद्योग और श्रमिकों को बल्कि अर्थव्यवस्था और पूरे देश को भी प्रभावित कर रहे हैं, को संबोधित करने का प्रयास करती हैं। इसलिए, इन संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं पर एक समझ और चर्चा सभी हितधारकों के लिए, खासकर देश में नए उभरते श्रम और रोजगार परिदृश्य में काफी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है।

e[; mnn';: इस व्यापक संदर्भ में संस्थान ने 17 मार्च 2021 को इस त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की प्रमुख विशेषताओं, संहिता पर विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और इसके निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे: (1) औद्योगिक संबंध संहिता की बेहतर समझ को बढ़ावा देना, और (2) सामान्य रूप से विभिन्न हितधारकों और विशेष रूप से ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संहिता की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की सुविधा प्रदान करना।

çfrHkkfxrk% कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने उद्घाटन व्याख्यान दिया; श्री राजन वर्मा, पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने औद्योगिक संबंध संहिता की प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन प्रदान किया; श्री एस मल्लेशम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ ने ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को साझा किया और श्री माइकल डायस, सचिव, दिल्ली नियोक्ता संगठन ने औद्योगिक संबंध संहिता पर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण को साझा किया। इसके अलावा, डॉ अनुजा श्रीधरन, वरिष्ठ संकाय सदस्य, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ, बेंगलुरु ने एक शिक्षाविद के रूप में संहिता पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। प्रो. बी.टी. कौल पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली न्यायिक अकादमी ने समापन व्याख्यान दिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने किया।

# ,dhd`r Je bfrgkl vuql/kku dk;Øe ¼vkbl,y,pvkjih½

## ,dhd`r Je bfrgkl vuql/kku dk;Øe% ifjp;

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

## dk;Øe dh lajpuk

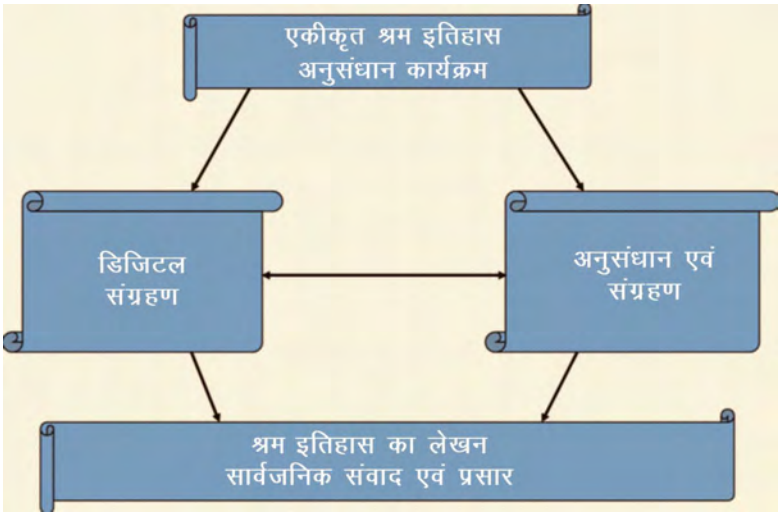




## Hkkjrh; Jfedk d fMftVy vfHkys[kkxkj dh fo'k"krk,

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनः प्राप्ति प्रणाली
- सवंर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

## i|jh dh xb| fMftVyhdj.k ifj;ktuk,

### 1- vf[ky Hkkjrh; V'M ;fu;u dkx|l lxg 1928&1996 dk fMftVyhdj.k

इस संग्रह में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन की चुनिंदा प्रमुख फाइलें, पुस्तिकाएं और वस्तु सूची शामिल हैं। एटक का इतिहास संगठित श्रमिक आंदोलन और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है।

### 2- vuki pkfjd {k= d dkexkjk d ekf[kd bfrgkl dk fMftVyhdj.k

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की भारी उपस्थिति को देखते हुए अप्रलेखित श्रमिकों का अध्ययन आईएलएचआरपी का एक प्रमुख सरोकार रहा है। इसके कई संग्रह और अनुसंधान परियोजनाओं में, विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास अनौपचारिक श्रमिकों और उनके संगठनों से जुड़ी दृश्य और श्रव्य सामग्री है। मौखिक इतिहास और जीवन इतिहास दृष्टिकोण भारत के अदृश्य कार्यबल को उजागर करने का एक प्रमुख तरीका रहा है। वर्तमान वर्ष में आईएलएचआरपी ने अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन इतिहास/मौखिक इतिहास का एक विशेष अभिलेखीय संग्रह बनाना शुरू किया, और मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीवन कहानी दृष्टिकोण का उपयोग करके बीस जीवन कहानियां एकत्र की गईं।

## çe[k dk;'kkyk,@lEeyu

- **çk|kfxdh vkj dk; dk Hkfo"; ij v,uykbu dk;'kkyk**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 31 मार्च 2021 को प्रौद्योगिकी और कार्य का भविष्य पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्य की दुनिया एक मंथन में है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट तक डिजिटल रूप से संचालित तकनीकों का एक समूह–जिसे सामूहिक रूप से 'औद्योगिक क्रांति 4.0' या 'दूसरा मशीन युग' कहा जाता है–ने कार्य की दुनिया में काफी परिवर्तन किए हैं। कोविड–19 महामारी और इसके कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों ने नाटकीय रूप से कार्यस्थल में तेजी से परिवर्तनों को आगे बढ़ाया है। यदि पहले के बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक और कारखाने के कार्यों ने घर और कार्य को अलग करना सुगम बनाया था, तो समकालीन तकनीकी प्रगति ने लाखों लोगों को घर से काम करने में सक्षम बनाया है। यह, निश्चित रूप से, प्रौद्योगिकी, कार्य और समाज के बीच संबंधों के लिए दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।

जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रसार भी समकालीन समय की विशेषता है, और विशेष रूप से डिजिटल तकनीक ने हमारे कार्य करने के तरीके को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इस बदलाव

ने कार्य के भविष्य में नए रास्ते भी खोले हैं। एक विकास आपदा होने के बावजूद, कोविड–19 महामारी ने मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी–मध्यस्थ दुनिया को तेज कर दिया है। एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खरीदारों और प्रदाताओं को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यवसायों के प्रसार के कारण, घर से कार्य करने के लिए एक वैश्विक संक्रमण के अलावा, शहरी क्षेत्रों ने आवश्यक सेवाओं की अपनी खपत को घर पर भी स्थानांतरित कर दिया है। कार्य का भविष्य कैसे होगा और अवसरों का लाभ लेने एवं परिवर्तनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को दूर करने के लिए किन रणनीतियों को स्थापित करने की आवश्यकता है? श्रम से संबंधित सार्वजनिक नीति के विमर्श में ये प्रमुख विषय बन गए हैं।

इसी संदर्भ में एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 31 मार्च 2021 को çk|kfxdh vkj dk;l dk Hkfo"; ij ,d v,uykbu dk;'kkyk का आयोजन किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गयाः समकालीन तकनीकी परिवर्तन की प्रकृति और प्रसार, यानी वह सीमा जिस तक यह ऐतिहासिक रूप से 'अभूतपूर्व' है और यह दुनिया भर में समान रूप से या असमान रूप से कैसे फैल गया है; स्वचालन का प्रश्न और नौकरियों पर इसके प्रभाव एवं निहितार्थ; नई तकनीक और उसके परिणामों से जुड़ी बढ़ती आय और मजदूरी असमानता के मुद्दे; तकनीकी परिवर्तनों और रोजगार, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर उनके प्रभाव से प्रभावित कार्य संबंधों के प्रमुख मॉडल में परिवर्तन; और कार्य के भविष्य के उभरते प्रक्षेप पथ पर अनुक्रिया करने के लिए नीति विकल्प।

इस ऑनलाइन कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। कार्यशाला के पैनलिस्ट थेः प्रो. प्रभु महापात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय; सुश्री ऐश्वर्या रमन, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट; प्रो. बालाजी पार्थसारथी, आईआईआईटी, बेंगलुरु और प्रो. विनोज अब्राहम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम।

कार्यशाला में सभी संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो ने किया।**

# Çyx ,o Je v/;;u dsanz

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं। भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन में तथा वास्तव में सतत विकास को पाने में वर्ष 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे। इस रूपरेखा के तहत केंद्र की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को कार्य की दुनिया में लिंग के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

## iwjh dh xbZ ifj;kstuk,¡

### 1- leku ikfjJfed vf/kfu;e] 1976 dk dk;kZUo;u

#### mn~ns';

- समान वेतन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय पहलों की समीक्षा करना।
- लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल का पता लगाने के लिए विभिन्न सैक्टरों में समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन को मापना।
- सांस्कृतिक मानदंडों, सामान्य, तकनीकी शिक्षा के संबंध में कर्मचारियों/कामगारों की पदोन्नति/करियर प्रगति अवसरों को सह–संबद्ध करना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक सौदेबाजी तथा मजूदरी अंतर के बीच संबंधों का पता लगाना।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 के अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम अभिसमय 100 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
- लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल का कम करने के लिए मॉडल विकसित करना।

#### ifj.kke

इस अनुसंधान अध्ययन में समान पारिश्रमिक के प्रावधानों के संदर्भ में उद्योगों में जमीनी हकीकत पर फोकस किया गया। भारत ने 1951 के दौरान आईएलओ अभिसमय संख्या 100 का अनुसमर्थन किया और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भर्ती के चरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक, रोजगार से संबंधित सभी मामलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भी भेदभाव, अपराध माना जाता है। यह अधिनियम तीन मुख्य शर्तों पर का उल्लेख करता है: भर्ती, पारिश्रमिक और पदोन्नति। ये तीनों शब्द एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें महिलाओं को भर्ती के समय समान अवसर प्रदान करके और उनके करियर की प्रगति के चरणों के दौरान संबंधित मामलों में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच प्राथमिकता होनी चाहिए।

अध्ययन में इस महत्वपूर्ण विधान का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास किया गया। यद्यपि मजदूरी संहिता भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, फिर भी हमें उम्मीद है कि वर्तमान अनुसंधान सभी हितधारकों के लिए मौजूदा लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल को कम करने के उनके प्रयास में फायदेमंद होगा।

#### v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2019 में शुरु, एवं दिसम्बर 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, फेलो)**

## 2- Álfr Álfo/kk ¼la'kks/ku½] vf/kfu;e] 2017 dk jkstxkj ij çHkko% vf/kfu;e ds dk;kZUo;u esa ldkjkRed igyw ,oa pqukSfr;ksa dh igpku djuk

### mn~ns';

प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम की चुनौतियों, कार्यान्वयन में बाधा और महिलाओं के रोजगार पर प्रभाव की पहचान करना।

### lkfj.kke

सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लाभ प्रदान करने में भारत अग्रणी देशों में से एक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 2017 के दौरान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि क्रेच की सुविधा एक निर्धारित दूरी के भीतर प्रदान की जानी चाहिए और महिलाओं को क्रेच में एक दिन में चार बार जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कमीशनिंग माताओं के लिए भी 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है। यह संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है, जिसे कई लोगों ने सराहा है और यह एक महिला को अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। जमीनी स्तर पर इस अधिनियम के निहितार्थ और सकारात्मक प्रभावों को समझना आवश्यक है। यह रिपोर्ट प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन और महिलाओं के रोजगार पर इसके प्रभाव पर विभिन्न हितधारकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित करती है।

### v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अक्टूबर 2019 में शुरु, एवं नवम्बर 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, फेलो)**

## 3- —f"k ladV dk le>uk% ,d ySafxd ifjçs{;

### mn~ns';

इस अनुसंधान अध्ययन में कृषि क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को रेखांकित करने पर फोकस करना।

### lkfj.kke

इसमें लैंगिक आयामों के प्रति एक निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और लागू करने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन में कृषि में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका और इसकी प्रभावशीलता को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया और यह पाया गया कि यदि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो राष्ट्र स्थायी रूप से भूख और गरीबी से

लड़ सकते हैं। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि कृषि में महिलाओं के लिए समान विकास नीतियां जैसे कि शिक्षा के अवसर प्रदान करना, कृषि की प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं होनी चाहिए।

### v/;;u dk 'kq: ,oa iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को जनवरी 2020 में शुरू एवं अक्तूबर 2020 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)**

## 4- —f"k esa tsaMj dh mHkjrh #>ku% mÙkj çns'k dk ,d ekeyk

### mís';

- विभिन्न आयामों से कृषि में महिलाओं की भूमिका की जांच करना; भेदभाव और लैंगिक असमानता के मूल कारणों का पता लगाना;
- महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करना और कृषि में समान अधिकार, भूमिका, रोजगार और वेतन प्राप्त करना;
- कृषि में महिलाओं की भूमिका को समर्थन और मजबूत करने के लिए कार्यानीति तैयार करना और आत्म–विकास और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में उनकी मदद करना।

### Ikfj.kke

अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं के पास भूमि, पूंजी और अन्य प्रमुख संसाधनों के संबंध में अधिकार नहीं हैं; वे मुख्य रूप से कृषि भूमि में हार्वेस्टर के रूप में या कशीदाकारी के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास निर्णय लेने की बहुत कम शक्ति है। अध्ययन में संबंधित हितधारकों को स्वयं सहायता समूह बनाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, ग्रामीण महिलाओं के बीच कढ़ाई की कला को बढ़ावा देने और अन्य कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला गहन तकनीकों को शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

### v/;;u dk 'kq: ,oa iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को नवम्बर 2020 में शुरू एवं मार्च 2021 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)**

## tkjh ifj;kstuk,a

## 1- fczDl bafM;k 2021 & Je cy esa efgykvksa dh Hkkxhnkjh ij b'kw isij

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में विचार–विमर्श

के लिए चार विषयों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक: श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

***श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर इश्यू पेपर*** ब्रिक्स देशों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्तियों की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है। यह महिलाओं के काम को बढ़ावा देने के अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करने की कोशिश करता है और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी ब्रिक्स देशों में शुरू किए गए कुछ हालिया और अभिनव नीतिगत हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालता है। इस अंक पत्र का उद्देश्य महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार के लिए बड़े नीतिगत मुद्दों में योगदान के लिए सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इस इश्यू पेपर का उद्देश्य महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार के लिए बड़े नीतिगत मुद्दों में योगदान करने हेतु सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

इस परियोजना से संबंधित कार्य फरवरी 2021 में शुरू किया गया।

**(परियोजना निदेशक: डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)**

## çe[k dk;'kkyk,@ijke'k

- ^fofoèkrk] leko'k vkj bfDoVh yl d ekè;e l Je lfgrk^ ij jk"Vh; dk;'kkyk

इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्य की दुनिया में विविधता, समावेश और समानता के पहलुओं, कार्यस्थल भेदभाव एवं उत्पीड़न और नई श्रम संहिताओं के अनुरूप संगठनों द्वारा नीति निर्माण में उचित समायोजन पर चर्चा करना था। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया और इसमें सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और लैंगिक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

- efgyk Je cy Hkkxhnkjh ij ikpok {k=h; ijke'k

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने (वीवीजीएनएलआई) ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के सहयोग से 09 जुलाई 2020 को 'महिला श्रम बल भागीदारी' पर पाँचवें क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। यह ऑनलाइन परामर्श डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबएक्स (WebEx) के माध्यम से आयोजित किया गया। परामर्श का उद्घाटन सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू ने किया। सुश्री मीता राजीव लोचन, सदस्य सचिव, एनसीडब्ल्यू ने स्वागत भाषण दिया।

प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह, माननीय कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) ने अध्यक्षीय भाषण दिया। श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर ने परामर्श में एक विशेष भाषण दिया। इस परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: (i) भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित प्रमुख चिंताएं; (ii) मौजूदा विधानों का महिला कामगारों पर प्रभाव; और (iii) बाल संरक्षण नीतियों का एफएलएफपी पर प्रभाव और एफएलएफपी में गिरावट का समाधान करने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इस परामर्ष ने देश के चार क्षेत्रों (गुजरात, बंगलौर, असम और कटक) में आयोजित पिछले परामर्षों के लिए एक पुनर्कथन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यु, वीवीजीएनएलआई, राज्य महिला आयोग, एससीपीसीआर के प्रतिनिधियों; वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों; यूनिसेफ के प्रतिनिधियों; सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों; विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के अध्येताओं; विधि विशेषज्ञों, एनएलयूडी के संकाय सदस्यों एवं छात्रों सहित अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, और डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो वीवीजीएनएलआई ने प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. एलीना सामंतराय ने एनसीडब्ल्यु, नई दिल्ली के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का समन्वय भी किया।

- **vrjk"Vh; efgyk fnol d volj ij ^dkedkth efgyk,% dkfoM&19 dh pukfr;k ij dkc ikuk^ Ikj dk;'kkyk**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'कामकाजी महिलाएं: कोविड–19 की चुनौतियों पर काबू पाना' पर एक कार्यशाला का आयोजन संस्थान परिसर में 08 मार्च 2021 को किया। कार्यशाला का उद्देश्य महामारी के दौरान महिला श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों और उन्हें दूर करने की रणनीतियों पर विचार–विमर्श करना था। परिचर्चा के बाद उपरोक्त विषय पर काव्य पाठ किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। कार्यशाला के संसाधन व्यक्तियों में प्रो. रीता सिंह, प्रोफेसर और पूर्व निदेशक, महिला अध्ययन और विकास केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; डॉ रचना बिमल, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, सुश्री सोनल दहिया, पत्रकार और कवि शामिल थे। कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री बी.एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई ने किया।

# पूर्वोत्तर भारत केंद्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

## केंद्र के मुख्य अनुसंधान विषयः

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

## dsUnz ds çeq[k ifj'k{k.k fo"k;

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

## iwjh dj yh xbZ ifj;kstuk,¡@ekeyk v/;;u

### 1- fnYyh esa mÙkj iwoZ ds çoklh% ,d lkekftd&vkfFkZd v/;;u

#### mís';

- सामान्य रूप से दूसरे राज्यों में और विशेष रूप से दिल्ली में उत्तर पूर्व के व्यक्तियों के प्रवासन की प्रवृत्तियों और प्रकृति की जांच करना
- दिल्ली में उत्तर पूर्व के प्रवासियों के व्यावसायिक प्रोफाइल और कामकाजी परिस्थितियों का अध्ययन करना
- दिल्ली में उत्तर पूर्व के प्रवासियों के जीवन स्तर का अध्ययन करना और सामाजिक सुरक्षा लाभ, सामाजिक नेटवर्किंग और सामुदायिक भागीदारी तक उनकी पहुंच की जांच करना
- उत्तर पूर्व के प्रवासियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव को समझना।

#### ifj.kke

- काम की असुरक्षा, नस्लीय पूर्वाग्रह और पक्षपात के बावजूद उत्तर–पूर्व के व्यक्ति उनके राज्यों में बेरोजगारी की समस्याओं से उत्पन्न नौकरी के अवसरों की तलाश में दिल्ली जैसे शहर में तेजी से पलायन कर रहे हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी व्यापक रूप से जारी है क्योंकि कम विकास और कमजोर आर्थिक विकास के कारण बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसरों की कमी हुई है।
- नौकरियों और शिक्षा के लिए दिल्ली की ओर पलायन बढ़ रहा है, जो उत्तर–पूर्व में अपर्याप्त रोजगार और शैक्षिक अवसरों और एक कमजोर बुनियादी ढांचे को इंगित करता है। शिक्षा ने

व्यक्तियों, विशेष रूप से युवा व्यक्तियों, जो औपचारिक नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और वह जो इस क्षेत्र में सीमितम है, की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है। उत्तर–पूर्व के लोग अपने वांछित रोजगार प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, मोटे तौर पर सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से श्रृंखला प्रवास की एक घटना, अपनी वांछित पूर्णकालिक स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद में अपने क्षेत्र के बाहर के शहरों में चले गए।

- उत्तर–पूर्वी भारत से महिलाओं के प्रवासन में उन समाजों में विद्यमान रूढ़िवादी और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की बड़ी क्षमता है जहां लिंग आधारित भूमिकाओं को कड़ाई से परिभाषित किया गया है और महिलाओं के लिए उच्च नैतिक आधार पर सीमाएं निर्धारित की गई हैं। बेहतर करियर, उच्च शिक्षा और कुशल रोजगार के लिए इस क्षेत्र से दिल्ली या अन्य भारतीय शहरों में आने वाली इन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वायत्तता की आकांक्षाओं को समझने की जरूरत है।

- अन्य क्षेत्रों के विपरीत, जहां राज्य से बाहर महिलाओं के पलायन का मुख्य कारण अभी भी 'विवाह' है, केरल के अलावा, उत्तर–पूर्व ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से रोजगार और शिक्षा जैसे कारणों से महिलाओं का पलायन होता है। ऐसी किसी भी प्रथा पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है जो इन महिलाओं को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में असुरक्षित और सुभेद्य महसूस कराती है और 'अन्य' होने की भावना पैदा होती है। इसलिए, कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करना बेहद जरूरी है क्योंकि यह न केवल कतिपय क्षेत्रों की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि सही मायने में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा।

- दिल्ली में उत्तर–पूव से पलायन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह उत्तर पूर्वी समुदायों की अनूठी संस्कृतियों की स्थानीय समुदायों में कम समझ के कारण हो सकता है जो अक्सर हानिकारक सांस्कृतिक भेदभाव और अंततः प्रवासी अत्याचारों में योगदान करते हैं। उत्तर पूर्व समुदाय की मातहती की कल्पित अवधारणाएं अक्सर व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्र में नस्लवाद और दुर्व्यवहार में योगदान करती हैं।

- एक और मुद्दा जो दिल्ली शहर में उत्तर–पूर्वी समुदाय की कमजोरियों में योगदान देता है, वह है उत्तर–पूर्वी भारत के नागरिकों के मजबूत समूहों की अनुपस्थिति। शहरी केंद्रों में प्रवासी समुदाय के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव सिविल सोसायटी संगठनों, सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों आदि सहित सभी हितधारकों के संगठित और ठोस प्रयासों के माध्यम से ही किए जा सकते हैं।

- वर्तमान में, कोविड–19 की महामारी से उत्पन्न विपत्ति ने उत्तर–पूर्वी प्रवासियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है जो भारत की मुख्य भूभाग के लोगों से भिन्न मुखाकृति और नस्लीय रूप से अलग होने की विशेषताओं के कारण सुभेद्य हैं। महामारी के परिणामस्वरूप अंततः सुविधाओं को बंद कर दिया गया, कार्यबल में कमी हुई, आर्थिक अभाव हुआ, और उनके खोए

हुए रोजगार या आजीविका की बहाली के संबंध में दोनों तरह के प्रवासियों के लिए पहला, जिन्होंने प्रवासन के गंतव्य पर रहना जारी रखा और जो अपने घर लौट गए के संबंध में कई अन्य प्रश्न उठे।

### v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु एवं मार्च 2021 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)**

## 2- vle esa pk; ckxku Jfedksa dh vkthfodk lqj{kk vkSj lkekftd lqj{k.k

### mn~ns';

- असम में चाय उद्योग का अध्ययन करना
- इस बात की जाँच करना कि चाय बागान श्रमिकों में कौन–कौन आते हैं
- असम में चाय मजदूरों के प्रवास के इतिहास और उनकी बसावट के पैटर्न का आकलन करना
- विभिन्न सुविधाओं, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक बागान श्रमिकों की पहुंच की जाँच करना
- असम के चाय बागान श्रमिकों पर कोविड–19 महामारी के प्रभावों को समझना।

### ifj.kke

- कम वेतन ही वह कारक नहीं है जो चाय श्रमिकों के जीवन को कठिन बनाता है। इस मामले में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो चाय मजदूरों के पूरे परिवार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश परिवार बडे होते हैं जिसमें 6 से 7 सदस्य होते हैं। फिर, निरक्षरता है जो समस्या को बढ़ाती है क्योंकि माता–पिता शिक्षा से अवगत नहीं हैं।
- चाय बागान क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धि और समृद्धि के लिए एक स्वस्थ वातावरण नहीं है। घरेलू हिंसा, अस्थायी श्रमिकों के लिए नौकरी के संबंध में असुरक्षा, आय की असमानता, और उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। एक अन्य पहलू मानव तस्करी है जो कुछ स्थानों पर इन गरीब और कमजोर चाय श्रमिकों के लिए प्रचलित है।
- वहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सभी आयु वर्ग के लिए उचित स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और कौशल केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव है। इस कारण अधिकांश लोग जीवन यापन के लिए चाय के बागानों पर निर्भर हैं।

- अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो सुधार भी है परंतु यह धीमा है। चाय बागान मजदूरों के कुछ बच्चे चाय बंधुआ मजदूरी के सामाजिक ढांचे से बाहर निकल रहे हैं। चाय श्रमिकों की अगली पीढ़ी वकील, डॉक्टर, सिविल सेवक, नर्स, इंजीनियर और प्रबंधक आदि जैसे अपने स्थान हासिल करने और बनाने में सक्षम है।

## v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु, एवं मार्च 20201 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)**

## 3- ef.kiqj esa gFkdj?kk cqudjksa dh lkekftd lqj{kk

### mn~ns';

- मणिपुर में हथकरघा उद्योग को समझना
- राज्य में हथकरघा बुनकरों के रुझान एवं पैटर्न की जाँच करना
- सामाजिक सुरक्षा लाभों तक हथकरघा बुनकरों की पहुंच का अध्ययन करना
- हथकरघा बुनकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का मूल्यांकन करना।

### ifj.kke

- भारत की राष्ट्रीय हथकरघा जनगणना (2019–2020) के अनुसार भारत में हथकरघा उद्योग 31 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। हथकरघा उद्योग न केवल कम संसाधन उद्यम और निर्यात एवं विदेशी मुद्रा आय के लिए एक महान क्षमता के कारण बल्कि ग्रामीण कृषि बाजार के साथ इसके जुड़ाव के कारण भी वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
- जनगणना ने राज्य में कुल 221,855 हथकरघा बुनकरों को दर्ज किया। इस प्रकार, मणिपुर में हथकरघा श्रमिकों के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक दोनों संभावनाएं हैं। मणिपुर में 192,431 ग्रामीण परिवार और 29,424 शहरी परिवार हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं।
- भारत के पूरे उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग में पूरी तरह से महिलाओं का वर्चस्व है; मणिपुर के हथकरघा उद्योग पर भी महिला श्रम बल का कब्जा है। मणिपुर राज्य में कुल 94 प्रतिशत (211,327) महिलाएं हथकरघा बुनाई में लगी हुई हैं। पुरुष बुनकरों में श्रम बल का 6 प्रतिशत (13,319) शामिल है और कला के इस पारंपरिक रूप में योगदान करने के लिए केवल 38 ट्रांसजेंडर दर्ज थे।
- हथकरघा कारीगरों और संबद्ध कामगारों का एक बड़ा हिस्सा हमारी श्रम बल के अतिसंवेदनशील और वंचित वर्ग से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा को उत्तरोत्तर विकास चक्र के एक अनिवार्य भाग के रूप में देखा जाता है। यह संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन के लिए एक अधिक

आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करने में मदद करता है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अधिक क्षमता एवं उच्च दक्षता के संदर्भ में इसके संभावित लाभों को भी चुनौती देता है।

- मणिपुर सरकार को हथकरघा श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट किए गए सभी लाभ, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर के 91 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों के पास अंत्योदय कार्ड नहीं है।
- इसके अलावा, अध्ययन से पता चलता है कि मणिपुर में अधिकांश हथकरघा श्रमिक हथकरघा से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने ऋण प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं। यह अत्यधिक अनुशंसित किया जाता है कि मणिपुर की राज्य सरकार और अन्य हितधारकों को सरकार से संबद्ध एजेंसियों से ऋण के स्रोत के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित करने को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए।
- इस क्षेत्र के बुनकरों में अधिकतर महिलाएं हैं और उनमें से अधिकतर अशिक्षित हैं। नतीजतन, वे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्राप्य योजनाओं और परियोजनाओं के प्रति सचेत नहीं हैं। सरकार को कुछ उत्पादक निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की प्रक्रिया के होते हुए भी उद्योग की स्थिति खराब होने के कगार पर है।
- बुनकर समुदाय और हथकरघा क्षेत्र पर लघु और दीर्घकालिक दोनों प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकारी हस्तक्षेप की योजना बनाई जानी चाहिए। चूंकि कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण कारोबारी माहौल बदल गया है, इसलिए हथकरघा उत्पादों में नए विचारों, सिद्धांतों और विश्वास को लाने और इसे एक सुरक्षित व्यवसाय एवं उत्पाद के रूप में घोषित करने के लिए उपाय करने महत्वपूर्ण है। इसमें सक्षम आपूर्ति, ब्रांड निर्माण, श्रृंखला प्रबंधन और विपणन प्रयास शामिल हो सकते हैं।
- राज्य और केंद्र सरकार को स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्थानीय रूप से निर्मित हथकरघा उत्पादों के खर्च का समर्थन करने में सक्षम भूमिका निभानी होगी। किसी भी दीर्घकालिक उपाय को रोजगार को पुनर्जीवित करने, सृजित करने और बनाए रखने में सहायता करने वाली नीतियों को लागू करने के माध्यम से क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निदेशित किया जाना चाहिए।

## v/;;u dk 'k# ,oa ijk djus dh frfFk

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु, एवं मार्च 20201 में पूरा किया गया।

**(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)**

## Ekkeyk v/;;u

- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योग से जोड़नाः कर्नाटक जर्मन बहु कौशल विकास केंद्रों से सबक – *डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो*

# Je ,oa LokLF; v/;;u dsUnz

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

## dsUnz ds eq[; vuqla/kku {ks=

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहार: जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

## Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk,a

### 1- fcDl jk"Vªksa ds chp lkekftd lqj{kk le>kSrksa dks c<+kok nuk

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक: श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

*fcDl n'kksa ds chp lkekftd lqj{kk le>kSrksa dks c<+kok nuk* पर इश्यू पेपर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रवासन का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और ब्रिक्स देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रवासन के कुछ अनुमान प्रस्तुत करता है। यह सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी चर्चा करता है। यह पेपर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों के रूप में ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किए गए कुछ कदमों की जांच करता है। यह पेपर

उन मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा करता है जिन पर इन द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। पेपर का अंतिम खंड चर्चा के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

इस परियोजना से संबंधित कार्य फरवरी 2021 में शुरू किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd : Mk- :ek ?kk"k] Qyk)

## 2- lHkh d fy, lkekftd lj{kk&vkx dh jkg ij vuql/kku vè;;u

इस परियोजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के प्रभावी प्रवर्तन के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करना है। यहां कार्यान्वयन का मुद्दा महत्वपूर्ण है और 'सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा–आगे की राह' शीर्षक वाली यह परियोजना असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए), 2008 (राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड और जिला स्तरीय सुविधा केंद्रों के माध्यम से) के कार्यान्वयन में मुद्दों, इसके समर्थकारी कारक और प्रमुख बाधाओं को समझने का प्रयास है और इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आगे की राह का सुझाव देती है।

### vè;;u d mn~n's;

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यः इस प्रकार हैं:

- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में समस्या, यदि कोई है, की पहचान करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में विभिन्न सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुभव और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करने के लिए आगे की राह

यह अध्ययन दो राज्यों, गुजरात और मध्य प्रदेश से उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों और प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। यह अध्ययन दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा।

### v/;;u dk 'kq# ,o ijk djus dh frfFk

परियोजना को मार्च 2021 में शुरु किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd: Mk- :ek ?kk"k] Qyk½

### *çeq[k dk;'kkyk,@lfeukj@lEeyu*

- dk;LFkyk ij lj{kk vkj LokLF;% tMj ij Qkdl d lkFk 0;kolkf;d lj{kk vkj LokLF; ij dk;'kkyk

इस वेबिनार का आयोजन वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रिया इंटरनेशनल एकेडमी (पीआईए)

एवं मार्था फेरल फाउंडेशन (एमएफएफ) के सहयोग से 'विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस' पर 28 अप्रैल 2020 को किया। यह दिवस विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वेबिनार में श्रम विभाग के अधिकारियों, विकास पेशेवरों, लिंग अधिकार कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन नेताओं और वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने उद्घाटन भाशण दिया। पैनलिस्टों में श्री पी. के. गोस्वामी, उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच), श्रम विभाग, दिल्ली सरकार; डॉ राजेश टंडन, संस्थापक–निदेशक, प्रिया; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक); श्री एस. ए. आजाद, निदेशक, पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर (प्रसार) और सुश्री आया मातसुरा, जेंडर विशेषज्ञ, आईएलओ डिसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर राष्ट्रीय अभियान समिति के सदस्य श्री सौविक भट्टाचार्य ने क्षेत्र से अपने अनुभव साझा किए जिसके बाद पैनलिस्टों ने दर्षकों के कुछ सवालों को संबोधित किया। सारांश और निष्कर्ष डॉ. रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया। वेबिनार का समन्वय संयुक्त रूप से डॉ. रूमा घोष, फेलो और सुश्री नंदिता भट, निदेशक, मार्था फेरल फाउंडेशन, नई दिल्ली ने किया।

- jkstxkj ds u, :iksa esa Jfedksa ds fy, lkekftd lqj{kk dks etcwr djuk&fxx vkSj IySVQkWeZ Jfedksa dk ekeyk ij ijke'kZ dk;Z'kkyk

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में असंगठित क्षेत्र, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर स्थिति प्रदान करना तथा श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को जीवन और विकलांगता बीमा, भविष्य निधि, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ और कौशल–उन्नयन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाना है। इसी संदर्भ में यह कार्यशाला 30 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी ताकि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया जा सके। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. एच, श्रीनिवास, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने उद्घाटन भाषण दिया और जेएनयू, नई दिल्ली के पूर्व संकाय प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव ने रोजगार के नए रूपों और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर मुख्य भाषण दिया। सुश्री मैरिको ओची, सीनियर टेक्नीकल स्पेशलिस्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन, आईएलओ डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया; डॉ रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री विरजेश उपाध्याय, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ; श्री माइकल डायस, सचिव, नियोक्ता एसोसिएशन, दिल्ली; डॉ प्रवीण सिन्हा, अध्यक्ष, नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन और महासचिव, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा डॉ किंग्शुक सरकार, संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कार्यशाला के पैनलिस्ट थे। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, फेलो ने किया।

# t yok;| ifjor|u rFkk Je d|n|

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

## d|n| d| e|[; vu|l/kku {k=

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तः संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती लगे हैं तथा जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियां से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का सूखे, बाढ़ तथा अति अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंधन के द्वारा प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।

- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभाव्य प्रभाव और विभिन्न अंगीकरण एवं प्रवास रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

## Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk,a

### 1- fczDl bafM;k 2021&Je cktkjksa dk vkSipkfjdj.k ij b';w isij

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक: श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

*Je cktkj dk vkSipkfjdj.k ij b';w isij* नीति निर्माताओं (और अन्य हितधारकों) के साथ जानकारी साझा करने और 2021 में भारत की अध्यक्षता में आगामी ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान चर्चा में सहायता करने के लिए एक तुलनात्मक ढांचे में तैयार किया गया। यह इश्यू पेपर विशेष रूप से चार प्रमुख पहलुओं पर फोकस करता है: ब्रिक्स देशों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय रूपरेखा; कोविड–19 संकट का प्रभाव और इससे होने वाले अनौपचारिकीकरण के जोखिम; देश के स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों और सफल औपचारिकरण प्रथाओं का दस्तावेजीकरण; और बैठक के दौरान विचार–विमर्श के लिए उभरते मुद्दों और प्रश्नों को उजागर करना।

इस परियोजना से संबंधित कार्य फरवरी 2021 में शुरू किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- vuqi lRkiFkh] Qsyks½

# अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। अब तक, इस योजना के तहत लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 123 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2260 प्रतिभागियों ने भाग



एमओयू का आदान–प्रदान करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और श्री यांगो लिउ, निदेशक, आईएलओ–आईटीसी

लिया था। वर्ष 2020–2021 के दौरान, संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कोविड–19 महामारी के कारण सभी प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2020–21 के दौरान, आईटीईसी–आईएलओ, ट्यूरिन और आईएलओ जिनेवा के संकाय सदस्य संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सत्र देने के लिए शामिल हुए थे, जिनका उल्लेख इस प्रकार है:

(i) श्री जोएल अल्कोसर, प्रबंधक, जॉब्स फॉर पीस एंड रेजिलिएंस ट्रेनिंग प्रोग्राम (जेपीआर) ने *फ्यूचर ऑफ वर्क: नेविगेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिवली* पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ वर्क' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

(ii) सुश्री जोहान लॉर्टी, जेंडर विशेषज्ञ और सीनियर कार्यक्रम अधिकारी ने *इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्ज ऑन जेंडर, लेबर लॉज़ एंड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स* पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वीमेन वर्कर्स एंड दि रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स' पर एक व्याख्यान दिया।

(iii) श्री माइकल फ्रोष, वरिष्ठ सांख्यिकीविद्, सांख्यिकी विभाग, आईएलओ ने *ट्रांजीशिनंग फ्रॉम इन्फॉर्मलिटी टु फॉर्मलिटी* पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मेज़रिंग दि इन्फॉर्मल इकोनमी: स्टैटिस्टिकल डेफिनीशंस एंड मेज़रमेंट पर एक व्याख्यान दिया।

(iv) श्री जेवियर एस्टुपिनन, वेतन और अनौपचारिक क्षेत्र विशेषज्ञ, आईएलओ ने *ट्रांजीशिनंग फ्रॉम इन्फॉर्मलिटी टु फॉर्मलिटी* पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कोविड–19 इम्पैक्ट ऑन इन्फॉर्मल इकोनमी एंड इट्स इंप्लीकेशंस पर एक व्याख्यान दिया।

(v) सुश्री फ्लोरेंस बोनट, श्रम जगत और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ, आईएलओ, जिनेवा ने *ट्रांजीशिनंग फ्रॉम इन्फॉर्मलिटी टु फॉर्मलिटी* पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नेशनल डायग्नोसिस ऑफ इन्फॉर्मलिटी: सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड इंडिकेटर्स फॉर एक्शन टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन' पर एक व्याख्यान दिया।

आईटीसी– आईएलओ ने वीवीजीएनएलआई से 7–9 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित *'इफेटिव प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इन इमरजेंसी सिचुएशंस'* पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक ई–कोचिंग फोरम में भाग लेने का भी अनुरोध किया था। इस कार्यक्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित Je vuqla/kku laLFkkuksa dk fczDl usVodZ का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैं: नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन, रूस; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।

इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना और मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने 2020–2021 के दौरान ब्रिक्स देशों में कार्य की बदलती दुनिया में कौशल आपूर्ति और मांग के विभिन्न आयामों से संबंधित एक अनुसंधान अध्ययन किया; इसका उद्देश्य बेहतर जानकारी वाली नीति तैयार करने के लिए ब्रिक्स देशों में तुलनीय साक्ष्य और नीति विकल्पों को एकत्र करना, साझा करना और चर्चा करना था।

भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021 के मध्य के दौरान रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम) का आयोजन करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले इश्यू पेपर को तैयार करना शुरू कर दिया है। संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा और डीसेंट वर्क टेक्नीकल टीम सपोर्ट (डीडब्ल्युटी) फॉर साउथ एशिया के साथ संयुक्त रूप से श्रम एवं रोजगार नीतियों के निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों नामतः (i) ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; (ii) श्रम बाजारों का औपचारिकरण; (iii) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और (iv) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका पर इश्यू पेपर तैयार कर रहा है।

# iz'k{k.k vkSj f'k{kk ¼2020&21½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैः

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान ने 152 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 02 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 6048 कार्मिकों ने भाग लिया।

इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल की है। कोविड–19 महामारी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए।

## Je ç'kklu dk;Øe

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 31 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1329 सहभागियों ने भाग लिया।

## vkS|kfxd laca/k dk;Øe

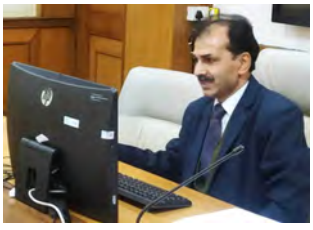

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 11 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 221 सहभागियों ने भाग लिया।

## {kerk fuekZ.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 61 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 2551 सहभागियों ने भाग लिया।

## cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 07 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 587 सहभागियों ने भाग लिया।

## vrjk"Vªh; izf'k{k.k dk;Øe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। कोविड–19 महामारी के कारण 2020–21 के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई थी

## iwoksZÙkj jkT;ksa ds fy, izf'k{k.k dk;Øe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 16 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 376 कार्मिकों ने भाग लिया।

## vuqla/kku i)fr dk;Øe





इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ–साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 05 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 165 सहभागियों ने भाग लिया।

## lg;ksxkRed izf'k{k.k dk;Øe





संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई; एनसीडीएस, भुवनेश्वर; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात; राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान, केरल;

जीसस एंड मैरी कॉलेज, नई दिल्ली; तेजपुर विश्वविद्यालय, असम; महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात; रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद; और सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद के सहयोग से विभिन्न विशयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 18 ऑनलाइन कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें 719 सहभागियों ने भाग लिया।

## vkrfjd dk;Øe

संस्थान ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने, केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों, टीएचडीसी के अधिकारियों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के श्रम अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 05 आंतरिक ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 130 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

*मोहम्मद मुस्तफा, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक; डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, डॉ. अनूप कुमार सतपथी, फेलो; डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो; श्री जे. के. कौल, परामर्शदाता (कार्यक्रम) नई श्रम संहिताओं पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ*

# if'k{k.k dk;ZØe] foÙk o"kZ 2020&21

| Øe la- | dk;ZØe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB;Øe funsZ'kd |
|---|---|---|---|---|
| Je ç'kklu dk;ZØe ¼,y,ih½ | | | | |
| 1. | भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण में नवीनतम पहल<br>27 – 29 मई 2020 | 03 | 49 | संजय उपाध्याय |
| 2. | महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण<br>से संबंधित कानून<br>15 – 19 जून 2020 | 05 | 42 | शशि बाला |
| 3. | भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण में नवीनतम पहल<br>15 – 17 जून 2020 | 03 | 55 | संजय उपाध्याय |
| 4. | सुलह को प्रभावी बनाना<br>08 – 10 जुलाई 2020 | 03 | 31 | मनोज जाटव |
| 5. | अर्ध–न्यायिक प्राधिकारीः भूमिका एवं कार्य<br>15 – 17 जुलाई 2020 | 03 | 23 | संजय उपाध्याय |
| 6. | श्रम प्रशासन एवं श्रम निरीक्षण के<br>माध्यम से सुशासन<br>17–19 अगस्त 2020 | 03 | 40 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 7. | गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिषा मेंः<br>चुनौतियां एवं विकल्प,<br>14 – 16 सितम्बर 2020 | 03 | 40 | एस. के. शशिकुमार |
| 8. | श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए<br>साम्य और समानता के संबंधित सकारात्मक नीतियाँ<br>28 सितंबर – 02 अक्तूबर 2020 | 05 | 53 | शशि बाला |
| 9. | प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन<br>12 – 14 अक्तूबर 2020 | 03 | 34 | संजय उपाध्याय |
| 10. | कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं<br>कल्याण सुनिश्चित करना,<br>11 – 13 जनवरी 2021 | 03 | 23 | रूमा घोष |
| 11. | श्रम संहिताएं, औद्योगिक संबंध और श्रम प्रशासन<br>18–22 जनवरी 2021 | 05 | 131 | एलीना सामंतराय |
| 12. | नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम<br>21–22 जनवरी 2021 | 02 | 54 | रूमा घोष |
| 13. | श्रम अधिकारियों के लिए नई श्रम<br>संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम,<br>01 – 02 फरवरी 2021 | 02 | 101 | एलीना सामंतराय |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuka dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 14. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>08–09 फरवरी 2021 | 02 | 45 | रम्य रंजन पटेल |
| 15. | प्रौद्योगिकी, रोजगार के नए रूप तथा कार्य का भविष्य<br>08 – 09 फरवरी 2021 | 04 | 80 | एस. के. शशिकुमार |
| 16. | श्रम अधिकारियों के लिए श्रम संहिता, 2019<br>18 – 19 फरवरी 2021 | 02 | 52 | धन्या एम. बी. |
| 17. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम,<br>22 – 23 फरवरी 2021 | 02 | 83 | हेलन आर. सेकर |
| 18. | नियोक्ता संगठनों के लिए नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम,<br>25 – 26 फरवरी 2021 | 02 | 30 | संजय उपाध्याय |
| 19. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए मजूदरी संहिता, 2019,<br>01 – 02 मार्च 2021 | 02 | 51 | धन्या एम. बी. |
| 20. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>04 – 05 मार्च 2021 | 02 | 19 | एलीना सामंतराय |
| 21. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020,<br>08 – 09 मार्च 2021 | 02 | 37 | रूमा घोष |
| 22. | नियोक्ता संगठनों के लिए नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम,<br>11 – 12 मार्च 2021 | 02 | 28 | संजय उपाध्याय |
| 23. | नई संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>15 – 16 मार्च 2021 | 02 | 28 | संजय उपाध्याय |
| 24. | श्रम अधिकारियों के लिए मजदूरी संहिता, 2019 पर अभिविन्यास कार्यक्रम,<br>18–19 मार्च 2021 | 02 | 19 | धन्या एम. बी. |
| 25. | व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम,<br>18 – 19 मार्च 2021 | 02 | 36 | हेलन आर. सेकर |

| Øe la- | dk;ZØe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB~;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 26. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर अभिविन्यास कार्यक्रम 22 – 23 मार्च 2021 | 02 | 11 | रूमा घोष |
| 27. | ट्रेड यूनियनों के लिए नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 25 – 26 मार्च 2021 | 02 | 23 | एलीना सामंतराय |
| 28. | नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम 30 – 31 मार्च 2021 | 02 | 22 | रम्य रंजन पटेल |
| 29. | श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 30 – 31 मार्च 2021 | 02 | 27 | एलीना सामंतराय |
| 30. | मजदूरी संहिता, 2019 30–31 मार्च 2021 | 02 | 19 | धन्या एम. बी. |
| 31. | सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम 30–31 मार्च 2021 | 02 | 43 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| | mi ;ksx & 31 | 81 | 1329 | |
| vkS|ksfxd lac/k dk;ZØe ¼vkbZvkjih½ | | | | |
| 32. | कार्य का प्रभावी प्रबंधन: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 13–16 अक्तूबर 2020 | 04 | 08 | शशि बाला |
| 33. | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 26 – 29 अक्तूबर 2020 | 04 | 16 | संजय उपाध्याय |
| 34. | ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 16 – 19 नवम्बर 2020 | 04 | 05 | रम्य रंजन पटेल |
| 35. | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना, 25 – 27 नवम्बर 2020 | 03 | 11 | शशि बाला |
| 36. | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम–कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना 25 – 27 नवम्बर 2020 | 03 | 16 | शशि बाला |
| 37. | औद्योगिक संबंध संहिता 03 – 04 दिसम्बर 2020 | 02 | 10 | संजय उपाध्याय<br>मनोज जाटव |
| 38. | सामाजिक सुरक्षा संहिता 17 – 18 दिसम्बर 2020 | 02 | 10 | रूमा घोष<br>ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB~;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 39. | मजूदरी संहिता, 2019<br>28 – 29 दिसम्बर 2020 | 02 | 36 | अनूप सतपथी<br>धन्या एम. बी. |
| 40. | आंतरिक जाँचः सिद्धांत एवं प्रथा<br>02 – 05 फरवरी 2021 | 04 | 14 | मनोज जाटव |
| 41. | मजदूरी संहिता, 2019<br>04 – 05 फरवरी 2021 | 02 | 67 | अनूप सतपथी |
| 42. | औद्योगिक संबंध संहिता, 2020<br>22 – 23 मार्च 2021 | 02 | 28 | मनोज जाटव |
| | mi ;ksx & 11 | 32 | 221 | |
| {kerk fuekZ.k dk;Øe ¼lhchih½ | | | | |
| 43. | घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>04 – 08 मई 2020 | 05 | 29 | शशि बाला |
| 44. | कार्य कुशलता को बढ़ाना<br>11 – 15 मई 2020 | 05 | 43 | शशि बाला |
| 45. | कार्य का भविष्यः परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना<br>20 – 22 मई 2020 | 03 | 52 | एस. के. शशिकुमार |
| 46. | ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम,<br>26 – 30 मई 2020 | 05 | 45 | शशि बाला |
| 47. | लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>08 – 12 जून 2020 | 05 | 51 | शशि बाला |
| 48. | उभरते श्रम बाजार मुद्दों एवं कार्यनीतिक अनुक्रियाओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>08 – 12 जून 2020 | 03 | 49 | धन्या एम. बी. |
| 49. | कार्य का भविष्यः परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,<br>10 – 12 जून 2020 | 03 | 49 | एस. के. शशिकुमार |
| 50. | कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>15–17 जून 2020 | 03 | 35 | रूमा घोष |
| 51. | लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>22 – 24 जून 2020 | 03 | 49 | एलीना सामंतराय |

| Øe l- | dk;Øe dk uke | fnuk dh l[;k | çfrHkkfx;k dh l[;k | ikB;Øe fun'kd |
|---|---|---|---|---|
| 52. | युवा रोजगार कौशल की क्षमता बढ़ाना<br>01 – 03 जुलाई 2020 | 03 | 38 | धन्या एम. बी. |
| 53. | रोजगार का सृजन<br>01 – 03 जुलाई 2020 | 03 | 24 | रम्य रंजन पटेल |
| 54. | अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण<br>08 – 10 जुलाई 2020 | 03 | 76 | अनूप सतपथी |
| 55. | कौशल और उद्यमिता विकास<br>13 – 15 जुलाई 2020 | 03 | 39 | अनूप सतपथी |
| 56. | जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग<br>13 – 17 जुलाई 2020 | 05 | 54 | शशि बाला |
| 57. | श्रम एवं वैश्वीकरण<br>20 – 22 जुलाई 2020 | 03 | 60 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 58. | ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>20–22 जुलाई 2020 | 03 | 11 | रम्य रंजन पटेल |
| 59. | अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण<br>20–22 जुलाई 2020 | 03 | 47 | रूमा घोष |
| 60. | अनौपचारिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>27–31 जुलाई 2020 | 05 | 27 | शशि बाला |
| 61. | लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण<br>03–07 अगस्त 2020 | 05 | 21 | रूमा घोष |
| 62. | लिंग, कार्य और विकास<br>05 – 07 अगस्त 2020 | 03 | 74 | पी. अमिताभ खुंटिआ |
| 63. | लिंग, गरीबी और रोजगार<br>10 – 14 अगस्त 2020 | 05 | 30 | शशि बाला |
| 64. | अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना<br>24–28 अगस्त 2020 | 05 | 38 | शशि बाला |
| 65. | श्रम बाजार और रोजगार नीतियां<br>24 – 26 अगस्त 2020 | 03 | 45 | अनूप सतपथी |
| 66. | श्रमिक मुद्दे और श्रम कानून<br>10 – 12 अगस्त 2020 | 03 | 34 | मनोज जाटव |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB~;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 67. | विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन<br>26 – 28 जून 2020 | 03 | 50 | पी. अमिताभ खुंटिआ |
| 68. | रोजगार में लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाना<br>07 – 11 सितम्बर 2020 | 05 | 52 | शशि बाला |
| 69. | भवन एवं निर्माण सैक्टर में हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण<br>01 – 03 सितम्बर 2020 | 03 | 24 | संजय उपाध्याय |
| 70. | क्रियाशील श्रम बाजार नीतियों का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन<br>21 – 23 सितम्बर 2020 | 03 | 38 | अनूप सतपथी |
| 71. | कौशल विकास और रोजगार सृजन<br>07 – 09 सितम्बर 2020 | 03 | 47 | अनूप सतपथी |
| 72. | युवा नियोजनीयता और उद्यमिता के लिए कौशल विकास<br>23 – 25 सितम्बर 2020 | 03 | 35 | पी. अमिताभ खुंटिआ |
| 73. | असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा<br>23 – 25 सितम्बर 2020 | 03 | 48 | मनोज जाटव |
| 74. | मजूदरी नीति और न्यूनतम मजदूरी<br>06 – 08 अक्तूबर 2020 | 03 | 98 | अनूप सतपथी |
| 75. | प्रवासन एवं विकास<br>07 – 09 अक्तूबर 2020 | 03 | 79 | एस. के. शशिकुमार |
| 76. | श्रमिक मुद्दे और श्रम कानून<br>26 – 29 अक्तूबर 2020 | 04 | 45 | मनोज जाटव |
| 77. | असंगठित कामगारों के लिए माथाड़ी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम,<br>02 – 06 नवम्बर 2020 | 05 | 66 | मनोज जाटव |
| 78. | सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा<br>09 – 11 नवम्बर 2020 | 03 | 38 | धन्या एम. बी. |
| 79. | असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा<br>10 – 12 नवम्बर 2020 | 03 | 24 | मनोज जाटव |
| 80. | प्रवासन एवं विकासः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य<br>01 – 04 दिसम्बर 2020 | 04 | 51 | एस. के. शशिकुमार |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 81. | सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार सूचना 02–04 दिसम्बर 2020 | 03 | 36 | धन्या एम. बी. |
| 82. | नियोजनीयता और उद्यमिता के लिए महिलाओं का कौशल विकास, 07 – 10 दिसम्बर 2020 | 04 | 38 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 83. | असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 09 – 11 दिसम्बर 2020 | 03 | 29 | मनोज जाटव |
| 84. | लिंग संवेदनशील वातावरण को सुगम बनानाः पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 14–18 दिसम्बर 2020 | 05 | 45 | शशि बाला |
| 85. | बीड़ी कामगारों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम 04 – 06 जनवरी 2021 | 03 | 16 | मनोज जाटव |
| 86. | नेतृत्व विकास कार्यक्रम 11 – 15 जनवरी 20201 | 05 | 49 | मनोज जाटव |
| 87. | रोजगार अवसरों का सृजनः अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना, 18 – 22 जनवरी 2021 | 05 | 18 | रम्य रंजन पटेल |
| 88. | नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम 21 – 22 जनवरी 2021 | 02 | 11 | संजय उपाध्याय |
| 89. | श्रम एवं रोजगार के मुद्दे (एनएसीआईएन, फरीदाबाद) 22 जनवरी 2021 | 01 | 40 | डॉ. एच. श्रीनिवास |
| 90. | लिंग, गरीबी और रोजगार 25 – 29 जनवरी 2021 | 05 | 52 | शशि बाला |
| 91. | असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 25–29 जनवरी 2021 | 05 | 47 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 92. | नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम 28 – 29 जनवरी 2021 | 02 | 42 | मनोज जाटव |
| 93. | असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 01–03 फरवरी 2021 | 03 | 33 | रूमा घोष |
| 94. | ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व, 03–04 फरवरी 2021 | 02 | 11 | संजय उपाध्याय |

| Øe l- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh l[;k | çfrHkkfx;ksa dh l[;k | ikB;Øe fun'kd |
|---|---|---|---|---|
| 95. | लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण<br>15 – 17 फरवरी 2021 | 03 | 47 | रूमा घोष |
| 96. | पुलिसकर्मियों के लिए लिंग संवेदनशील वातावरण को सुगम बनानाः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण<br>22–26 फरवरी 2021 | 05 | 16 | शशि बाला |
| 97. | शिक्षाविदों और कानून/एमएसडब्ल्यु के छात्रों के लिए नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>25 – 26 फरवरी 2021 | 02 | 30 | अनूप सतपथी |
| 98. | कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना,<br>08 – 10 मार्च 2021 | 03 | 73 | शशि बाला |
| 99. | सरकारी अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>15 – 17 मार्च 2021 | 03 | 40 | रम्य रंजन पटेल |
| 100 | घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>15 – 17 मार्च 2021 | 03 | 31 | शशि बाला |
| 101 | शिक्षाविदों और कानून/एमएसडब्ल्यु के छात्रों के लिए नई श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम<br>22 – 23 मार्च 2021 | 02 | 22 | रम्य रंजन पटेल |
| 102 | प्रवासन एवं विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य<br>24 – 26 मार्च 2021 | 03 | 55 | एस. के. शशिकुमार |
| 103 | श्रम में लैंगिक मुद्दे<br>24 – 26 मार्च 2021 | 03 | 31 | शशि बाला |
| | mi ;ksx & 61 | 213 | 2521 | |
| Ckky Je dk;Øe ¼lh,yih½ | | | | |
| 104 | बाल श्रम से संबंधित मुद्दों का समाधान करना<br>02 – 03 जून 2020 | 02 | 62 | हेलन आर. सेकर |
| 105 | बाल श्रम से संबंधित मुद्दों का समाधान करना<br>18 – 19 जून 2020 | 02 | 56 | हेलन आर. सेकर |
| 106 | बाल श्रम से संबंधित मुद्दों का समाधान करना<br>25 – 26 जून 2020 | 02 | 70 | हेलन आर. सेकर |
| 107 | बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए<br>15–17 सितम्बर 2020 | 02 | 29 | हेलन आर. सेकर |

| Øe l- | dk;Øe dk uke | fnuk dh l[;k | çfrHkkfx;k dh l[;k | ikB;Øe fun'kd |
|---|---|---|---|---|
| 108 | बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम<br>09–11 नवम्बर 2020 | 03 | 212 | हेलन आर. सेकर |
| 109 | श्रम शोषण के लिए बच्चों और किशोरों की तस्करी के समाधान पर अभिसरण कार्यक्रम<br>15–17 फरवरी 2021 | 03 | 107 | हेलन आर. सेकर |
| 110 | पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने में एनएसएस, एनवाईके और समाज कार्य के छात्रों की क्षमता को बढ़ाना<br>08–10 मार्च 2021 | 03 | 51 | हेलन आर. सेकर |
| | mi ;kx & 07 | 18 | 587 | |
| mŸkj&iohZ jkT;k d fy, dk;Øe ¼,ubZih½ | | | | |
| 111 | पूर्वोत्तर के राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>18 – 26 मई 2020 | 06 | 36 | शशि बाला |
| 112 | पूर्वोत्तर में सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा<br>24 – 26 जून 2020 | 03 | 18 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 113 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए श्रम में लैंगिक मुद्देः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण<br>29 जून – 03 जुलाई 2020 | 05 | 42 | शशि बाला |
| 114 | कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना<br>13 – 15 जुलाई 2020 | 03 | 37 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 115 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व<br>03 – 05 अगस्त 2020 | 03 | 23 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 116 | सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा<br>19 – 21 अगस्त 2020 | 03 | 14 | धन्या एम. बी. |
| 117 | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व<br>28 – 30 सितम्बर 2020 | 03 | 21 | संजय उपाध्याय |
| 118 | सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा<br>14 – 16 अक्तूबर 2020 | 03 | 39 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 119 | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व<br>02 – 06 नवम्बर 2020 | 05 | 07 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 120 | श्रम बाजार और रोजगार अवसरों को समझना<br>16 – 20 नवम्बर 2020 | 05 | 12 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB~;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 121 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण<br>23 – 27 नवम्बर 2020 | 05 | 13 | धन्या एम. बी. |
| 122 | पूर्वोत्तर के राज्यों के बागान श्रमिकों के लिए सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा<br>24–27 नवम्बर 2020 | 04 | 48 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 123 | पूर्वोत्तर के राज्यों के निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा<br>01–03 दिसम्बर 2020 | 04 | 28 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 124 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना<br>02 – 04 फरवरी 2021 | 03 | 11 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 125 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं<br>01 – 05 मार्च 2021 | 05 | 11 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 126 | पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण<br>08–10 मार्च 2021 | 03 | 16 | धन्या एम. बी. |
| | mi ;ksx & 16 | 63 | 386 | |
| vuqla/kku i)fr dk;Øe ¼vkj,eih½ | | | | |
| 127 | लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां<br>19 – 23 अक्तूबर 2020 | 05 | 27 | धन्या एम. बी. |
| 128 | शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार विश्लेषण<br>16 – 20 नवम्बर 2020 | 05 | 47 | एस. के. शशिकुमार |
| 129 | श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियाँ<br>23 – 27 नवम्बर 2020 2019 | 05 | 30 | रूमा घोष |
| 130 | श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ<br>18 – 22 जनवरी 2021 | 05 | 23 | अनूप सतपथी |
| 131 | श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियाँ<br>15 – 19 फरवरी 2021 | 05 | 38 | एलीना सामंतराय |
| | mi ;ksx & 05 | 25 | 165 | |

| Øe la- | dk;ZØe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB~;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| lg;ksxkRed iz'kf{k.k dk;ZØe ¼lhVhih½ | | | | |
| 132 | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात)<br>10 – 12 अगस्त 2020 | 03 | 38 | संजय उपाध्याय |
| 133 | खनन कामगारों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना<br>(एसएलआई ओडिशा)<br>17–19 अगस्त 2020 | 03 | 16 | रम्य रंजन पटेल |
| 134 | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात)<br>18 – 20 अगस्त 2020 | 03 | 61 | संजय उपाध्याय |
| 135 | श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात)<br>24 – 26 अगस्त 2020 | 03 | 55 | संजय उपाध्याय |
| 136 | केरल की जॉब चुनौतियों को समझना<br>(केआईएसई, केरल)<br>25 – 26 अगस्त 2020 | 02 | 55 | धन्या एम. बी. |
| 137 | बीड़ी कामगारों के लिए नेतृत्व विकास<br>कार्यक्रम (एसएलआई ओडिशा)<br>26 – 28 अक्तूबर 2020 | 03 | 16 | रम्य रंजन पटेल |
| 138 | मजूदरी नीति और न्यूनतम मजदूरी<br>(एसएलआई ओडिशा)<br>02 – 04 नवम्बर 2020 | 03 | 75 | अनूप सतपथी |
| 139 | लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण<br>(एसएलआई ओडिशा)<br>07 – 09 दिसम्बर 2020 | 03 | 33 | एलीना सामंतराय |
| 140 | लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों<br>पर उभरते परिप्रेक्ष्य (एसएलआई, ओडिशा)<br>21 – 23 दिसम्बर 2020 | 03 | 37 | एलीना सामंतराय |
| 141 | श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व;<br>एमआईएलएस, मुबई के सहयोग से<br>27 – 29 जनवरी 2021 | 03 | 20 | मनोज जाटव |
| 142 | श्रम एवं रोजगार के मुद्दे, रफी अहमद किदवई<br>राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद<br>28 – 29 जनवरी 2021 | 02 | 15 | एस.के. शशिकुमार |
| 143 | लिंग एवं विकासः महिला कामगारों के<br>लिए श्रम नीतियों पर विशेष फोकस के<br>साथ, जेएमआई, नई दिल्ली<br>27 – 29 जनवरी 2021 | 03 | 73 | एलीना सामंतराय |

| Øe la- | dk;Øe dk uke | fnuksa dh la[;k | çfrHkkfx;ksa dh la[;k | ikB;Øe funs'kd |
|---|---|---|---|---|
| 144 | भारत में सीमांत ग्रामीण श्रम को शामिल करना जीआरआई, तमिलनाडु के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम 08–12 फरवरी 2021 | 05 | 42 | शशि बाला |
| 145 | श्रम और वैश्वीकरण (तेजपुर विश्वविद्यालय), 08–12 फरवरी 2021 | 05 | 18 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 146 | नेतृत्व कौशल बढ़ाना: मत्स्य कामगार (एसएलआई, ओडिशा) 16–18 फरवरी 2021 ¼vkWQykbZu½ | 03 | 42 | रम्य रंजन पटेल |
| 147 | श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियाँ (एमजीएलआई, अहमदाबाद) 15–19 फरवरी 2021 | 05 | 34 | शशि बाला |
| 148 | श्रम और वैश्वीकरण (एमएसबीयू विश्वविद्यालय), 15–17 मार्च 2021 | 03 | 76 | ओतोजीत क्षेत्रिमयूम |
| 149 | तेलंगाना में श्रम पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव: चुनौतियाँ एवं प्रवासन, सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद 18 – 20 मार्च 2021 | 03 | 13 | मनोज जाटव |
| | mi ;ksx&18 | 58 | 719 | |
| vkarfjd dk;Øe ¼vkbZ,u,p½ | | | | |
| 150 | 31 जेटीएस (एएलसी, एएलडब्ल्युसी, एडब्ल्युसी) के अधिकारियों के लिए प्रारंभिक चरण में अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 दिसम्बर 2020 – 15 जनवरी 2021 | 25 | 31 | संजय उपाध्याय |
| 151 | टीएचडीसीएल के लिए श्रम कानून–श्रम संहिता, 2020 18 – 19 फरवरी 2021 | 02 | 36 | अनूप सतपथी |
| 152 | हरियाणा सरकार के एएलसी के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 – 19 फरवरी 2021 | 10 | 08 | संजय उपाध्याय |
| 153 | नई श्रम संहिताएं, निरीक्षण नीति एवं प्रक्रिया 08 – 12 मार्च 2021 ¼vkWQykbZu½ | 05 | 27 | अनूप सतपथी |
| 154 | नई श्रम संहिताएं, निरीक्षण नीति एवं प्रक्रिया 15 – 19 मार्च 2021 ¼vkWQykbZu½ | 05 | 28 | अनूप सतपथी |
| | mi ;ksx & 05 | 47 | 130 | |
| | ;ksx | 537 | 6048 | |

## foÙk o"kZ 2020&21 ds nkSjku vk;ksftr fd, x, izf'k{k.k dk;ZØe

| Øe la- | dk;ZØe dk uke | dk;ZØeksa dh la[;k | dk;ZØe ds fnuksa dh la- | lgHkkfx;ksa dh la[;k |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी) | 31 | 81 | 1329 |
| 2. | औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी) | 11 | 32 | 221 |
| 3. | क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) | 61 | 213 | 2521 |
| 4. | अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी) | 05 | 25 | 165 |
| 5. | बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी) | 07 | 18 | 587 |
| 6. | पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी) | 16 | 63 | 376 |
| 7. | सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी) | 18 | 58 | 719 |
| 8. | आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस) | 05 | 47 | 130 |
| | tksM+ | 154 | 537 | 6048 |

## o"kZ 2020&21 ds nkSjku vk;ksftr dk;Z'kkykvksa dh lwph

| Øe la- | 0kfcukj | fnuksa dh la- | lgHkkfx;ksa dh la[;k | leUo;d |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वेबिनार – 28 अप्रैल 2020 | 01 | 80 | रूमा घोष |
| 2. | ''सुरक्षा बच्चों का बाल श्रम से संरक्षणः अब पहले से कहीं ज्यादा'' आईएलओ और वी.वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित–12 जून 2020 | 01 | 2300 | हेलन आर. सेकर |
| 3. | महिला श्रम बल भागीदारी पर पाँचवाँ क्षेत्रीय परामर्श, वीवीजीएनएलआई द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) एवं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के सहयोग से आयोजित – 09 जुलाई 2020 | 01 | 50 | एलीना सामंतराय |
| 4. | 'केरल की जॉब चुनौतियों को समझना' पर वेबिनार, 25–26 अगस्त 2020 | 02 | 55 | धन्या एम. बी. |
| 5. | श्रमिक प्रवासनः मुद्दे और आगे की राह पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला 15 सितम्बर 2020 | 01 | 318 | एस. के. शशिकुमार |
| 6. | 'आदिवासी एवं ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकासः समावेश एवं अवसर, गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु के सहयोग से 16–18 सितम्बर 2020 | 03 | 72 | शशि बाला |
| 7. | 'समाधान' पोर्टल पर राष्ट्रीय वेबिनार 17 सितम्बर 2020 | 01 | 122 | संजय उपाध्याय |
| 8. | 'पेंसिल' पोर्टल पर राष्ट्रीय वेबिनार 17 सितम्बर 2020 | 01 | 145 | हेलन आर. सेकर |

| Øe la- | Okfcukj | fnuksa dh la- | lgHkkfx;ksa dh la[;k | leUo;d |
|---|---|---|---|---|
| 9. | ''बंधुआ श्रम पुनर्वास में समन्वय और अभिसरण'' पर एक ई–परामर्श, 26 नवंबर 2020 | 01 | 72 | हेलन आर. सेकर |
| 10. | 'कामकाजी महिलाएँ: कोविड–19 की चुनौतियों पर काबू पाना' पर कार्यशाला, 08 मार्च 2021 | 01 | 50 | एलीना सामंतराय |
| 11. | औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 पर कार्यशाला 17 मार्च 2021 | 01 | 60 | संजय उपाध्याय |
| 12. | नेतृत्व की कला पर ऑनलाईन कार्यशाला 23 मार्च 2021 | 01 | 39 | शशि बाला |
| 13. | 'कोविड–19 और भारत के श्रम बाजार पर इसका प्रभाव' पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला 26 मार्च 2021 | 01 | 39 | धन्या एम. बी. |
| 14. | 'रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना' विषय पर एक परामर्श कार्यशाला, 30 मार्च 2021 | 01 | 37 | रूमा घोष |
| 15. | 'विविधता, समावेश और समानता कानूनों के माध्यम से श्रम संहिताएं' पर कार्यशाला 30 मार्च 2021 | 01 | 30 | शशि बाला |
| 16. | 'प्रौद्योगिकी और कार्य का भविष्य' पर ऑनलाइन कार्यशाला 31 मार्च 2021 | 01 | 100 | एस. के. शशिकुमार |
| | | 19 | 3569 | |

# ,u- vkj- Ms Je lpuk llk/ku dsUnz ¼,uvkjMhvkjlh,yvkb½

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर.डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

## 1- Hkkfrd lEink

**iLrdsa** अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान पुस्तकालय में 14 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र. पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 65]544 तक पहुंच गई।

**i=&if=dk,¡** पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 148 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

## 2- lok,

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए रु. 11,50,000/– का नया उन्नत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर '^,yvkbch,lokb,l 10 bltch^^; सूचना का चयनात्मक प्रचार.प्रसार (एसडीआई); वर्तमान जागरूकता सेवा; ग्रन्थ विज्ञान सेवा; ऑनलाइन खोज; पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण; समाचार पत्रों के लेखों के कतरन; माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग; रिप्रोग्राफिक सेवा सीडी.रोम सर्च; दृश्य–श्रव्य सेवा; वर्तमान विषय. वस्तु सेवा; आर्टिकल अलर्ट सेवा; लेंडिंग सेवा; इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा।

## 3- mRikn

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- **vkof/kd lkfgR; dh ekxnf'kdk%** तिमाही अंत: संस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।

- **djsaV tkx:drk cqysfVu%** तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **vkWVdy vyVZ:** यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- **orZeku fo"k;&oLrq lsok%** यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- **vkWVdy vyVZ lsok%** साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।

## 4- fof'k"Vhd`r lalk/ku dsanz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

# jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

## jkt Hkk"kk dk;kZUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 24.06.2020, 29.09.2020, 24.12.2020 और 25.03.2021 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

## fgUnh dk;Z'kkyk

संस्थान ने अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 26.06.2020, 17.08.2020, 04.12.2020 और 24.02.2021 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

## frekgh fjikVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2020, 30 जून 2020, 30 सितम्बर 2020 और 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

## fgUnh i[kokM+k

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 29 सितम्बर 2020 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख,

टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी टंकण एवं वर्ग पहेली, हिंदी काव्य पाठ, त्वरित भाषण, और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। 29.09.2020 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

## jkt Hkk"kk dk c<+kok nus d fy, iqjLdkj

- वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के तहत 'क' क्षेत्र में *द्वितीय पुरस्कार* से सम्मानित किया गया।

- ये पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर वितरित किए जाएंगे क्योंकि देश में जारी कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था।

- वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा 29.01.2021 को आयोजित 41वीं बैठक (ऑनलाइन) में प्रथम पुरस्कार (चल वैजयंती एवं प्रथम शील्ड) से सम्मानित किया गया।

# çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

## ycj ,.M Moyiesa V

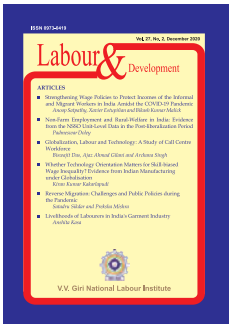




लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

## vokMlZ Mkbtsl V

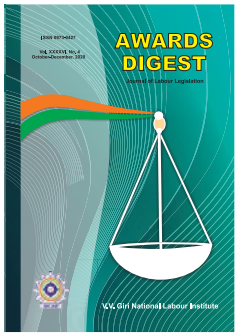




अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

## Je fo/kku

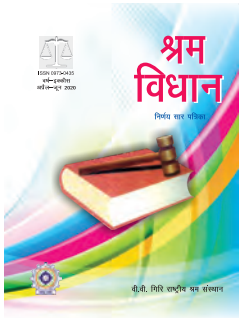




श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

## bn/ku"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

## pkbYM gki

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

## Je lxe

*श्रम संगम* एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

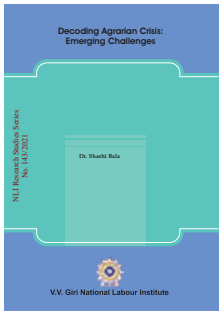


## ,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u J`[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 144 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2020–21 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

141/2021 प्रमोटिंग यूथ एंप्लॉयमेंट एंड इंटरप्रिन्योरशिप : अ स्टडी विद स्पेशल फोकस ऑन 'स्टार्टअप्स'–*डॉ. धन्या एम. बी.*

142/2021 इंप्लीमेटेशन ऑफ दि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, 1976 – *डॉ. शशि बाला*

143/2021 डिकोडिंग अग्रेरियन क्राइसिसः इमर्जिंग चैलेंजिज – *डॉ. शशि बाला*

144/2021 डिकोडिंग अग्रेरियन क्राइसिसः अ जेंडर पर्सपेक्टिव – *डॉ. शशि बाला*




## Okhoh th,u,yvkbl ikfylh ilifDVot

*वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़* में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव तथा उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, पर फोकस किया जाता है।

- न्यू लेबर कोड्स – पुटिंग इंडिया ऑन अ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी – डॉ. एच. श्रीनिवास




## lelkef;d çdk'ku

- इंपैक्ट ऑन इंप्लॉयमेंट ऑफ दि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, 2017 – डॉ. शशि बाला
- कृषि संकट को समझना : उभरती चुनौतियों का अध्ययन –डॉ. शशिबाला
- कृषि संकट को समझना : एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य –डॉ. शशिबाला

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

Ádk'ku ¼ÁHkkjh½
oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je lLFkku]
सैक्टर 24, नौएडा–201301
टेलीफोन : 0120–2411533/34/35
ई–मेल : publications.vvgnli@gov.in

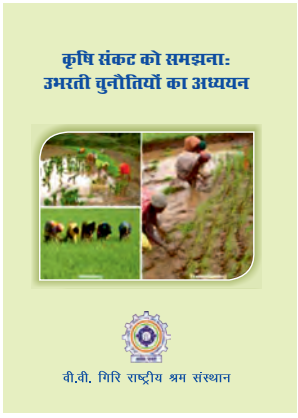

# i{k leFkZu vkSj çlkj

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं। इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम सरकारी स्कीमों एवं हस्तक्षेपों के प्रसार और अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, पक्ष समर्थन एवं प्रसार से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं की गई थी क्योंकि विभिन्न राज्यों/संगठनों द्वारा निर्धारित गतिविधियों को कोविड–19 महाकारी के प्रकोप कारण स्थगित कर दिया गया था।

# lLFkku dh b&xouZsl ,o fMftVy volajpuk dk mUu;u

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार साथ समन्वय में संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन एवं स्थायीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैः

1- b&vkfQl ç.kkyh dk lpkyu ,o LFkk;hdj.k% कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए भी स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सुचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2- ub oc lkbV dk 'kHkkjHk ,o ln<hdj.k% संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/. का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3- ifjlj e okb&Qkb ,o fuxjkuh ç.kkyh dk 'kHkkjHk% राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

Computer Room in Hostel

# deZpkfj;ksa dh la[;k
# ¼31-03-2021 dks½

| Lkewg | laLohd`r in* ¼fo|eku in½ | inLFk |
|---|---|---|
| महानिदेशक | 01 | 01 |
| संकाय सदस्य | 14 | 12 |
| समूह क | 04 | 03 |
| समूह ख | 10 | 09 |
| समूह ग | 20 | 08 |
| समूह घ | 17 | 17 |
| ;ksx | 66 | 50 |

* कुल संस्वीकृत पद–83, व्यपगत पद–17, शेष संस्वीकृत पद–66
पुनः प्रवर्तन की प्रक्रिया चल रही है।

# QdYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

## lLFkku dh QdYVh

डॉ. एच. श्रीनिवास, बी.एससी (ऑनर्स), एम.एससी., पीजीडीएम (एमडीआई), पीएच.डी., आईआरपीएस
महानिदेशक

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी. | सीनियर फेलो |
| 2. | डॉ. हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | सीनियर फेलो |
| 3. | डॉ. संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी | सीनियर फेलो |
| 4. | डॉ. रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी. | फेलो |
| 5. | डॉ. अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी | फेलो |
| 6. | डॉ. शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | फेलो |
| 7. | डॉ. एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी | फेलो |
| 8. | डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल. | फेलो |
| 9. | श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल. | एसोसिएट फेलो |
| 10. | डॉ. एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी. | एसोसिएट फेलो |
| 11. | डॉ. आर. आर. पटेल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | एसोसिएट फेलो |
| 12. | डॉ. मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी. | एसोसिएट फेलो |
| vf/kdkjh | | |
| 1. | हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए | प्रशासन अधिकारी |
| 2. | वी. के. शर्मा, बी.ए. | सहायक प्रशासन अधिकारी |
| 3. | शैलेश कुमार, बी. कॉम | लेखा अधिकारी |

# LVkQ

## Lkeg [k

| | | |
|---|---|---|
| 1. | एस. के. वर्मा | सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी |
| 2. | बी. एस. रावत | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी |
| 3. | ए. के. श्रीवास्तव | पर्यवेक्षक |
| 4. | एस. पी. तिवाड़ी | पर्यवेक्षक |
| 5. | मोनिका गुप्ता | आशुलिपिक ग्रेड – I |
| 6. | पिंकी कालड़ा | आशुलिपिक ग्रेड – I |
| 7. | सुधा वोहरा | आशुलिपिक ग्रेड – I |
| 8. | गीता अरोड़ा | आशुलिपिक ग्रेड – I |
| 9. | सुधा गणेश | आशुलिपिक ग्रेड – I |

## Lkeg x

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुरेन्द्र कुमार | सहायक ग्रेड – I |
| 2. | जे. पी. शर्मा | सहायक ग्रेड – I |
| 3. | नरेश कुमार | सहायक ग्रेड – I |
| 4. | रंजना भारद्वाज | सहायक ग्रेड – I |
| 5. | राजेश कुमार कर्ण | आशुलिपिक ग्रेड – II |
| 6. | वलसम्मा बी. नायर | आशुलिपिक ग्रेड – II |
| 7. | राम किशन | आशुलिपिक ग्रेड – II |
| 8. | प्रांजल गुप्ता | सहायक ग्रेड – II |

# y[kk ijh{kk fjiksVZ vkSj y[kkijhf{kr okÆ"kd y[kk 2020&2021

## 31 ekp 2021 dk lekIr o"k d fy, oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk ¼xkre cn/k uxj½ d ys[kk d lc/k e Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh iFkd ys[kkijh{kk fjikV d lc/k e lLFkku dk tokc

| ijk l[;k | ys[kkijh{kk ijk | lLFkku dk tokc |
|---|---|---|
| ¼d½ | lkekU; | |
| **IV** | संस्थान को ₹1363.01 लाख (सहायता अनुदान ₹1222.61 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹140.40 लाख) प्राप्त हुए। इसमें ₹119.89 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹1482.90 लाख हुई। संस्थान ने ₹1339.13 लाख का उपयोग किया तथा ₹143.77 लाख का अंत शेष रहा। | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है।

# vuqca/k

| iSjk la- | fVIi.kh | Tkokc |
|---|---|---|
| 1. | vkarfjd ys[kkijh{kk ç.kkyh dh i;kZIrrk<br><br>संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई । | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 2. | vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh dh i;kZIrrk<br><br>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है। | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 3. | vpy ifjlaifÙk;ksa ds çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh<br><br>वर्ष 2020–21 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 4. | oLrq&lwph ds çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh<br><br>वर्ष 2020–21 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 5. | lkafof/kd ns;rkvksa ds Hkqxrku esa fu;ferrk<br><br>संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है। | तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा ( केन्द्रीय ) लखनऊ,
शाखा कार्यालय - प्रयागराज

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Central) Lucknow,
Branch Office - Prayagraj

पत्र संख्याः म.नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.–30/2021–22/ दिनांक : .09.2021

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली -110001

विषयः वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020–21 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020–21 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) अग्रसारित किया जा रहा है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप–से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ–साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
ह0/–
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)
दिनांक : 10.09.2021

पत्र संख्याः म.नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.–30/2021–22/57

निदेशक,वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,सेक्टर 24, गौतम बुद्ध नगर,नोएडा–201301को संस्थान के वर्ष 2020–21 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता हैं। परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए:

*"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"*

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

मुख्यालय: कृषि तल, ऑडिट भवन, टी.सी.-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.) दूरभाष: 0522-2970789, फैक्स: 0522-2970780 (म.नि.)
Headquarter: 3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph: 0522-2970789 Fax: 0522-2970780 (D.G.)
शाखा कार्यालय: चतुर्थ तल, 15 अ सत्यनिष्ठा भवन, दयानंद मार्ग, प्रयागराज-211001 (उ.प्र.) दूरभाष/फैक्स: 0532-2420783
Branch Office: 4th Floor, 15 A Satyanistha Bhawan, Dayanand Marg, Prayagraj-211001 (U.P.) Ph/Fax- 0532-2420783

## 31 ekp! 2021 dks lekIr o"kZ ds fy, oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk ds y[kks ij Hkkjr ds fu;=d ,o egkys[kk-ijh{kd dh iFkd ys[kkijh{kk fjiksVZ

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखा-परीक्षा 2022–23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य-निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4.अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

## lgk;rk vuqnku

संस्थान को ₹1363.01 लाख (सहायता अनुदान ₹1222.61 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹140.40 लाख) प्राप्त हुए। इसमें ₹119.89 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹1482.90 लाख हुई। संस्थान ने ₹1339.13 लाख का उपयोग किया तथा ₹143.77 लाख का अंत शेष रहा।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2021 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk-ijh{kd dh vksj ls

g-@

çèkku ys[kkijh{kk funs'kd (lsUVªy)

LFkku: y[kuÅ
fnukad : 9-9-2021

# vuqca/k

## 1- vkUrfjd ys[kk ijh{kk dh i;kIrrk

संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई ।

## 2- vkUrfjd fu;a=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है।

## 3- vpy ifjlEifÙk;ksa ds çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वर्ष 2020–21 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

## 4- oLrq-lwph ds çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वर्ष 2020–21 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

## 5- lkafof/kd ns;rkvksa ds Hkqxrku esa fu;ferrk

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

ह./

निदेशक (सी ई)

dey frokjh ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
21/201, ईस्ट एंड अपार्टमेंट,
मयूर विहार फेज–I एक्सटेशन, दिल्ली – 110096
संपर्क सं. 9871938860

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

## vkrfjd y[kkijh{kk fjiksVZ ¼foÙkh; o"kZ 2020&21½

हमने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2021 को यथा स्थिति तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं, की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

## foÙkh; fooj.kksa gsrq çca/ku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निशपादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

## y[kkijh{kd dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

gekjh jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2021 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2021 को यथास्थिति संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

dey dqekj
साझेदार कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
lunh y[kkdkj
एफआरएन 035693 एन
सदस्यता सं. 537361
यूडीआईएनः 21537361एएएएएवी7996

ubZ fnYyh] 24 ebZ 2021

# oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
## 31 ekpZ 2021 dks ;FkkfLFkfr rqyui=

| n;rk,a | vuq- | 31-03-2021 ds vuqlkj vkadM+s | 31-03-2020 ds vuqlkj vkadM+s |
|---|---|---|---|
| पूँजीगत निधि | 1 | 121,715,072.31 | 104,368,017.97 |
| विकास निधि | 2 | 162,370,051.57 | 141,831,197.88 |
| उद्दिश्ट निधि | 3 | 36,618,512.97 | 59,377,078.33 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 4 | 68,435,169.00 | 86,011,878.47 |
| ;ksx | | **389,138,805.85** | **391,588,172.65** |
| ifjlEifÙk;ka | | | |
| अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक) | 5 | 131,397,805.00 | 116,259,339.00 |
| निवेशः उद्दिश्ट निधि | 6 | 171,042,737.80 | 150,082,545.11 |
| चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम | 7 | 86,698,263.05 | 125,246,288.54 |
| ;ksx | | **389,138,805.85** | **391,588,172.65** |

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka 17
vkdfLed n;rk,a ,oa ys[kksa dh fVIif.k;ka 18
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lEc/k esa gLrk{kfjr
d`rs dey frokjh ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj ¼,Qvkj,u 035693,u½

| g-@ | g-@ | g-@ | g-@ |
|---|---|---|---|
| dey dqekj | 'kSys'k dqekj | g"kZ flag jkor | MkW- ,p- Jhfuokl |
| सदस्यता सं. 537361 | लेखा अधिकारी | प्रशासन अधिकारी | महानिदेशक |

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 24 मई 2021
यूडीआईएनः 21537361एएएएवी7996

## oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
### 31 ekp 2021 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; ,oa 0;; ys[kk

| C;kjs | vuq- | 31-03-2021 ds vuqlkj vkdMs | 31-03-2020 ds vuqlkj vkdMs |
|---|---|---|---|
| vk; | | | |
| सहायता अनुदान | 8 | 101,503,707.00 | 117,129,373.00 |
| फीस एवं अंशदान | 9 | 6,657,487.00 | 37,477,534.00 |
| अर्जित ब्याज | 10 | 1,958,779.00 | 1,934,452.00 |
| अन्य आय | 11 | 5,423,648.00 | 15,773,498.26 |
| पूर्व अवधि आय | 12 | - | - |
| **tksM+ ¼d½** | | **115,543,621.00** | **172,314,857.26** |
| 0;; | | | |
| स्थापना व्यय | 13 | 61,146,551.00 | 68,266,703.00 |
| प्रशासनिक व्यय | 14 | 10,133,752.54 | 28,554,475.67 |
| पूर्व अवधि व्यय | 15 | 35,588.00 | 574,820.00 |
| योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय | 16 | 29,850,507.53 | 62,929,868.00 |
| **tksM+ ¼[k½** | | **101,166,399.07** | **160,325,866.67** |
| मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय (क–ख) | | 14,377,221.93 | 11,988,990.59 |
| घटायें: | | | |
| मूल्यह्रास | 5 | 15,802,633.00 | 13,875,469.00 |
| शेष, जिसे घाटे के कारण | | | |
| पूंजी निधि में ले जाया गया | | **(1,425,411.07)** | **(1,886,478.41)** |

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k] 17

vkdfLed ns;rk,a ,oa ys[kk dh fVIif.k;k 18

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lca/k esa
gLrk{kfjr

d`rs dey frokjh ,.M ,lksfl,V~l

lunh ys[kkdkj ¼,Qvkj,u 035693,u½

| g-@ | g-@ | g-@ | g-@ |
|---|---|---|---|
| dey dqekj | 'kSys'k dqekj | g"kZ flag jkor | Mk- ,p- JhfuokI |
| सदस्यता सं. 537361 | लेखा अधिकारी | प्रशासन अधिकारी | महानिदेशक |

दिनाँकः 24 मई 2021

यूडीआईएनः 21537361एएएएएवी7996

# oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk
## 31 ekpZ 2021 dks lekIr o"kZ dh çkfIr;ka ,oa Hkqxrku ys[kk

| fiNyk o"kZ 31.03.2020 | çkfIr;k¡ | jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2021 | fiNyk o"kZ 31.03.2020 | Hkqxrku | jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | vkfn 'ks"k | | | 0;; | |
| 3,891.95 | हस्तगत रोकड़ | 4,083.95 | 63,554,872.00 | स्थापना व्यय | 63,576,840.00 |
| | बैंक में शेष | | 21,435,822.84 | प्रशासनिक व्यय | 17,473,934.10 |
| 8,055,356.74 | चालू खाता | 20,388,176.42 | 62,427,696.00 | योजनागत अनुदान का उपयोग | 50,546,082.53 |
| 2,585,955.44 | बचत खाता परियोजना | 2,176,225.10 | | | |
| 324,813.55 | बचत खाता – आईओबी | 336,272.55 | | | |
| 97,019.27 | बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक | 103,171.27 | 1,478,735.00 | अचल परिसंपत्तयाँ | 1,775,933.00 |
| 127,511,967.14 | खाते में जमा–विकास निधि | 141,831,197.88 | | | |
| 13,103,240.76 | ग्रेच्युटी खाता–1130025 | 13,548,113.47 | 503,757.34 | विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय | 3,176,000.00 |
| 10,164,499.38 | छुट्टी का नकदीकरण–1130026 | 11,565,615.28 | 4,011,647.00 | अन्य एजेंसियां – व्यय | 6,641,310.00 |
| 34,801.00 | हस्तगत डाक टिकट | 29,163.00 | | | |
| 3,706,645.81 | ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति 1150006 | 3,538,315.63 | | | |
| 43,027.03 | कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025 | 894,504.51 | 243,421.00 | LVkQ dks vfxze | 178,719.00 |
| 42,073.00 | आइजीएल में जमा प्रतिभूति | 42,073.00 | | | |
| | जेम (जीईएम) पूल खाता | 2,500,000.00 | | | |
| | çkIr vuqnku | | 1,285,424.00 | विभागीय अग्रिम | 374,936.00 |
| 120,000,000.00 | भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से | 122,260,624.00 | | | |
| 3,229,230.00 | अन्य एजेंसियों से | 4,153,929.00 | | सेवा कर अग्रिम जमा | 1,424,003.00 |
| - | | - | 430,835.00 | जमा प्रतिभूति की वापसी | 25,000.00 |
| | çkIr C;kt | | | | |
| 14,319,230.74 | विकास निधि | 20,538,853.69 | | vUr 'ks"k | |
| - | उददिष्ट निधि | - | | | |
| 5,256.00 | वाहन अग्रिम | 8,719.00 | 4,083.95 | gLrxr jksdM+ | 8,116.95 |
| 1,929,196.00 | बचत खाता | 1,695,431.00 | | cSad esa 'ks"k | |
| 94,027.00 | ब्याजः परियोजना खाता | 43,570.00 | 20,388,176.42 | चालू खाता | 8,527,859.50 |
| 28,390,815.17 | Qhl@vfHkknku | 4,411,629.64 | 336,272.55 | बचत खाता – आईओबी | 347,259.01 |
| 16,111,244.26 | vU; vk; | 1,823,648.00 | 103,171.27 | बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक | 108,606.27 |
| - | iwoZ vof/k vk; | - | 13,548,113.47 | ग्रेच्युटी खाता–1130025 | 13,522,563.77 |
| 1,373,633.00 | विभागीय अग्रिम | 427,913.00 | 11,565,615.28 | छुट्टी का नकदीकरण–1130026 | 11,989,475.58 |
| | vfxzeksa dh olwyh | | 29,163.00 | हस्तगत डाक टिकट | 64,450.00 |
| 317,709.00 | स्टाफ से | 15,123.00 | 141,831,197.88 | जमाः विकास निधि | 162,370,051.57 |
| | vU; çkfIr;k¡ | | 2,176,225.10 | बचत खाता – परियोजना | 166,430.74 |
| 835,490.00 | आयकर वापसी | 1,647,716.00 | 3,538,315.63 | ईएमडी और जमा प्रतिभूति . 1150006 | 3,710,416.03 |
| | | | 894,504.51 | कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025 | 7,921,211.34 |
| 50,000.00 | प्राप्त जमा प्रतिभूति | - | 42,073.00 | आइजीएल में जमा प्रतिभूति | 42,073.00 |
| | | | 2,500,000.00 | जेम (जीईएम) पूल खाता | - |
| | | | - | भारतीय स्टेट बैंक | 12,797.00 |
| **352,329,122.24** | tksM+ | **353,984,068.39** | **352,329,122.24** | tksM+ | **353,984,068.39** |

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡ 17

vkdfLed nkf;Ro ,oa ys[kk dh fVIif.k;k¡ 18

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lEcU/k esa gLrk{kfjr

dr̀s dey frokjh ,.M ,lksfl,V~l

lunh ys[kkdkj (,Qvkj,u 035693,u)

| g-@ | g-@ | g-@ | g-@ |
|---|---|---|---|
| dey dqekj | 'kSysUæ dqekj | g"kZ flag jkor | Mk- ,p- Jhfuokl |
| सदस्यता सं. 537361 | लेखा अधिकारी | प्रशासन अधिकारी | महानिदेशक |

स्थानः नई दिल्ली

दिनाँकः 24 मई 2021

यूडीआईएनः 21537361एएएएएवी7996

## oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
## 31 ekp 2021 dk lekIr o"k dh fy, y[kk dh vulfp;k

vulph 1 & iath fuf/k (# e jkf'k)

| | | 31-03-2021 d vulkj vkdM | | 31-03-2020 d vulkj vkdM |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 104,368,017.97 | | 99,639,969.38 |
| जोड़ें: विकास निधि में अंतरण | | (11,988,990.59) | | (4,213,826.00) |
| जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान | | | | |
| योजनागत अनुदानों से | 30,761,456.00 | | 15,812,081.00 | |
| घटाएं: पूंजीगत निधि से उददिष्ट निधि | | | (4,983,728.00) | |
| | | 30,761,456.00 | - | 10,828,353.00 |
| व्यय से आय की अधिकता | | (1,425,411.07) | | (1,886,478.41) |
| tkM | | **121,715,072.31** | | **104,368,017.97** |

vulph 2 & fodkl fuf/k

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 141,831,197.88 | | 127,511,967.14 |
| जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि | | 11,988,990.59 | | 4,213,826.00 |
| जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज | | 8,549,863.10 | | 10,105,404.74 |
| tkM | | **162,370,051.57** | | **141,831,197.88** |

vulph 3 & mnfn"V fuf/k

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¼d½ ifjØkeh ,pch, fuf/k | | | | |
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 7,659,825.93 | | 7,249,016.93 |
| जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज | | 372,761.00 | | 377,278.00 |
| जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज | | 26,243.00 | | 33,531.00 |
| tkM ¼d½ | | **8,058,829.93** | | **7,659,825.93** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¼[k½ ifjØkeh dI;Vj fuf/k | | | | |
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 591,521.30 | | 570,876.30 |
| जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज | | 17,694.00 | | 19,092.00 |
| जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज | | 4,641.00 | | 1,553.00 |
| tkM ¼[k½ | | **613,856.30** | | **591,521.30** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¼x½ ifj;ktuk fuf/k | | | | |
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 2,176,225.10 | | 2,585,955.44 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त | | - | | - |
| जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज | | 43,570.00 | | 94,027.00 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो | | (2,053,364.36) | | (503,757.34) |
| tkM ¼x½ | | **166,430.74** | | **2,176,225.10** |

| | | 31-03-2021 dks vuqlkj vkdMs | | 31-03-2020 dks vuqlkj vkdMs |
|---|---|---|---|---|
| ?k- py jgk dk;Z | | | | |
| वर्ष के आरम्भ में शेष | | 48,949,506.00 | | 56,907,232.00 |
| जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया) | | 19,160,627.00 | | 2,000,000.00 |
| घटाएं: मंत्रालय को लौटाया गया अप्रयुक्त सहायता अनुदान (कें.लो.नि.वि.) | | (11,165,571.00) | | - |
| जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि | | (29,165,166.00) | | (14,941,454.00) |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि | | - | | 4,983,728.00 |
| जोड़ें: पूंजीगत निधि से उददिष्ट | | **27,779,396.00** | | **48,949,506.00** |
| tksM+ ¼?k½ | | **36,618,512.97** | | **59,377,078.33** |
| tksM+ ¼d$[k$x$?k½ | | | | |

## vuqlwph 4 & pkyw nkf;Rok,a ,oa çko/kku

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d & pkyw nkf;Rok,a | | | | |
| ईएमडी और जमा प्रतिभूति | | 2,353,978.00 | | 2,378,978.00 |
| विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं | | 3,296,507.00 | | 11,434,245.00 |
| जीएसटी आउटपुट | | 230,220.00 | | 1,583,678.47 |
| बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं | | 80,887.00 | | 6,510,973.00 |
| tksM+ ¼d½ | | **5,961,592.00** | | **21,907,874.47** |
| [k & çko/kku | | | | |
| सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं | | 62,473,577.00 | | 64,104,004.00 |
| tksM+ ¼[k½ | | **62,473,577.00** | | **64,104,004.00** |
| tksM+ ¼d$[k½ | | **68,435,169.00** | | **86,011,878.47** |

## vuqlwph 5 & vpy ifjlaifÙk;k¡

| fooj.k | ldy Cykd | | | | | | eY;gzkl | | | | fuoy Cykd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eY;gkl dh nj | o"kZ dh 'kq#vkr esa 01-04-2020 dks ykxr@ eY;kadu | o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu 03.10.2020 rd | o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu 03.10.2020 ds ckn | o"kZ ds nkSjku dVkSrh | o"kZ ds vUr esa 31-03-2021 dks ykxr@ eY;kadu | o"kZ dh 'kq#vkr esa | o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu ij | o"kZ ds nkSjku dVkSrh ij | o"kZ ds vUr rd ;ksx | orZeku o"kZ ds vUr rd fLFkfr | fiNys o"kZ ds vUr rd fLFkfr |
| भूमि* | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भवन | 10% | 102,506,133 | | 16,111,299 | - | 118,617,432 | 10,250,613 | 805,565 | | 11,056,178 | 107,561,254 | 102,506,133 |
| फर्नीचर व फिटिंग्स | 10% | 2,663,898 | | | - | 2,663,898 | 266,390 | - | | 266,390 | 2,397,508 | 2,663,898 |
| उपकरण | 15% | 6,497,291 | 13,260,986 | 679,383 | - | 20,437,660 | 974,594 | 2,040,102 | | 3,014,695 | 17,422,965 | 6,497,291 |
| वाहन | 15% | 228,523 | | | - | 228,523 | 34,278 | - | | 34,278 | 194,245 | 228,523 |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | 40% | 658,155 | | | - | 658,155 | 263,262 | - | | 263,262 | 394,893 | 658,155 |
| कंप्यूटर | 40% | 406,433 | | 836,550 | - | 1,242,983 | 162,573 | 167,310 | | 329,883 | 913,100 | 406,433 |
| सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां) | 25% | 3,298,906 | 52,881 | | - | 3,351,787 | 824,727 | 13,220 | | 837,947 | 2,513,840 | 3,298,906 |
| योग | | 116,259,339 | 13,313,867 | 17,627,232 | - | 147,200,438 | 12,776,437 | 3,026,197 | - | 15,802,633 | 131,397,805 | 116,259,339 |

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

## vu|l|ph 6 & fuos'k % mnfn"V fuf/k;k|

| | | 31-03-2021 d| vu|lkj vk|dM| | | 31-03-2020 d| vu|lkj vk|dM| |
|---|---|---|---|---|
| d- fodkl fuf/k | | | | |
| सावधि जमा खाते | | 153,013,143.59 | | 131,895,705.20 |
| एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज | | 9,340,017.63 | | 9,919,675.63 |
| इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता | | 16,890.35 | | 15,817.05 |
| tkM ¼d½ | | **162,370,051.57** | | **141,831,197.88** |
| [k- ifjØkeh ,pch, fuf/k | | | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर | | 5,308,475.00 | | 4,678,550.00 |
| एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज | | 34,463.00 | | 337,799.00 |
| इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता | | 1,595,223.93 | | 1,355,779.93 |
| स्टाफ को एचबीए अग्रिम | | 1,120,668.00 | | 1,287,697.00 |
| tkM ¼[k½ | | **8,058,829.93** | | **7,659,825.93** |
| x- ifjØkeh dI;Vj fuf/k | | | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता | | 550,992.30 | | 566,298.30 |
| स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम | | 62,864.00 | | 25,223.00 |
| tkM ¼x½ | | **613,856.30** | | **591,521.30** |
| tkM ¼d$[k$x½ | | **171,042,737.80** | | **150,082,545.11** |

## vu|l|ph 7 & pky| ifj l|ifÙk;k|] _.k ,o| vfxze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| v- pky| ifj l|ifÙk;k| | | | | |
| d- udnh ,o| c|d e| 'k"k | | | | |
| हस्तगत नकदी | | 8,116.95 | | 4,083.95 |
| c|d e| 'k"k% | | | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में | | 8,527,859.50 | | 20,388,176.42 |
| कार्पोरेशन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1150025 | | 7,921,211.34 | | 894,504.51 |
| इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता | | 347,259.01 | | 336,272.55 |
| कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता | | 108,606.27 | | 103,171.27 |
| ग्रेच्युटी एसबी खाता – 1130025 | | 13,522,563.77 | | 13,548,113.47 |
| छुट्टी का नकदीकरण एसबी – 1130026 | | 11,989,475.58 | | 11,565,615.28 |
| ईएमडी और जमा प्रतिभूति एसबी खाता – 1150006 | | 3,710,416.03 | | 3,538,315.63 |
| डाक टिकट खाता | | 64,450.00 | | 29,163.00 |
| आईजीएल में जमा प्रतिभूति | | 42,073.00 | | 42,073.00 |
| वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता | | - | | 2,500,000.00 |
| भारतीय स्टेट बैंकः एसबी खाता – 3455 | | 12,797.00 | | |
| tkM ¼d½ | | **46,254,828.45** | | **52,949,489.08** |

## vuqlwph 7 & pkyw ifjlEifRr;ka] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

| [k- ifj;kstuk fuf/k | 31-03-2020 dks vuqlkj vkadM+s | o"kZ ds nkSjku çkIr jkf'k | cSad C;kt | o"kZ ds nkSjku O;; | cSad çHkkj | 31-03-2021 ds vuqlkj vkadM+s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bafM;u vksojlht cSad esa ,lch [kkrk esa | | | | | | |
| एफसीएनआर खाता–10500 | 155,274.44 | - | 5,112.00 | | 85.54 | 160,300.90 |
| यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722 | 2,019,535.66 | | 38,417.00 | 2,053,221.00 | 57.82 | 4,673.84 |
| dkiksZjs'ku cSad] ,lch [kkrk | | | | | | |
| वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि 4098 | 1,415.00 | - | 41.00 | | | 1,456.00 |
| tksM+ ¼[k½ | **2,176,225.10** | - | **43,570.00** | **2,053,221.00** | **143.36** | **166,430.74** |
| tksM+¼v½ ¼d$[k½ | **55,125,714.18** | | | | | **46,421,259.19** |

| c- _.k ,oa vfxze | 31-03-2020 dks vuqlkj vkadM+s | o"kZ ds nkSjku fn, x, vfxze | o"kZ ds nkSjku olwyh@lek;kstu | 31-03-2021 ds vuqlkj vkadM+s |
|---|---|---|---|---|
| d- LVkQ dks | | | | |
| कार अग्रिम | 134,194.00 | 8,719.00 | 14,400.00 | 128,513.00 |
| स्कूटर अग्रिम | 377.00 | - | 377.00 | - |
| एलटीसी अग्रिम | - | 40,000.00 | 346.00 | 39,654.00 |
| त्योहार अग्रिम | - | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| tksM+ ¼d½ | **134,571.00** | **178,719.00** | **15,123.00** | **298,167.00** |
| [k- vU; ,stsfUl;ksa dks | | | | |
| कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2015–16 | 3,055,315.00 | | 3,055,315.00 | - |
| एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2015–16 | 52,881.00 | | 52,881.00 | - |
| कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2016–17 | 21,727,018.00 | - | 21,727,018.00 | - |
| कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18 | 4,549,039.00 | - | 2,234,537.00 | 2,314,502.00 |
| एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2016–17 | 13,925,473.00 | - | 13,260,986.00 | 664,487.00 |
| कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19 | 3,639,780.00 | - | | 3,639,780.00 |
| एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2018–19 | 19,712.00 | - | | 19,712.00 |
| एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2020–21 | - | 2,537,121.00 | | 2,537,121.00 |
| कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2020–21 | | 21,160,627.00 | | 21,160,627.00 |
| tksM+ ¼[k½ | **46,969,218.00** | **23,697,748.00** | **40,330,737.00** | **30,336,229.00** |

## vuqlwph 7 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze ¼tkjh---½

| | 31-03-2021 d vuqlkj vkdM+s | 31-03-2020 d vuqlkj vkdM+s |
|---|---|---|
| x- vU; vfxze | | |
| बाहरी एजेंसियों को अग्रिम | 169,017.00 | 934,972.00 |
| व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं | 36,134.00 | 3,212,134.00 |
| स्रोत पर कर की कटौती | 5,709,891.50 | 6,166,417.00 |
| टीडीएस पर जीएसटी | 75,084.00 | |
| विभागीय अग्रिम (एन.पी.) | 292.00 | 3,668.00 |
| विभागीय अग्रिम (पी.) | 18,854.00 | 68,455.00 |
| पूर्वदत्त खर्चे | 1,020,127.00 | 1,482,320.00 |
| विविध देनदार | 1,189,205.36 | 11,148,819.36 |
| सेवा कर विभाग | 1,424,003.00 | - |
| tksM+ ¼x½ | **9,642,607.86** | **23,016,785.36** |
| tksM+ ¼v$c½ | **86,698,263.05** | **125,246,288.54** |

## vuqlwph 8 & lgk;rk vuqnku

| | | |
|---|---|---|
| भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान | 130,300,000.00 | 120,000,000.00 |
| tksM+ | **130,300,000.00** | **120,000,000.00** |
| जोड़ें: कें.लो.नि.वि. से प्राप्त अप्रयुक्त सहायता अनुदान | 11,165,571.00 | |
| घटाएं: अवसंरचना के लिए उद्दिदश्ट सहायता अनुदान | 19,160,627.00 | 2,000,000.00 |
| घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान | 1,596,290.00 | 870,627.00 |
| घटाएं: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लौटाया गया सहायता अनुदान | 19,204,947.00 | - |
| | **(28,796,293.00)** | **(2,870,627.00)** |
| vk; vkSj O;; [kkrk esa n'kkZ;h x;h jkf'k;ka | **101,503,707.00** | **117,129,373.00** |

## vuqlwph 9 & Qhl ,oa vfHknku

| | | |
|---|---|---|
| शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क | 6,646,737.00 | 37,363,984.00 |
| अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान | 3,490.00 | 42,760.00 |
| लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान | 4,040.00 | 28,890.00 |
| श्रम कानून-शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ | 2,000.00 | 22,500.00 |
| श्रम विधान अभिदान | 1,220.00 | 19,200.00 |
| अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ | | 200.00 |
| | **6,657,487.00** | **37,477,534.00** |

## vuqlwph 10 & vftZr C;kt

| | | |
|---|---|---|
| स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज | 8,719.00 | 5,256.00 |
| प्राप्त ब्याज | 1,950,060.00 | 1,929,196.00 |
| | **1,958,779.00** | **1,934,452.00** |

## vuqlph 11 & vU; vk;

| | 31-03-2021 d vuqlkj vkdM+s | 31-03-2020 d vuqlkj vkdM+s |
|---|---|---|
| गैर–योजनागत आय | 572,233.00 | 3,303,879.26 |
| हॉस्टल के उपयोग से आय | 3,600,000.00 | 11,243,468.00 |
| निविदा फार्मों की बिक्री | - | 5,500.00 |
| फोटोस्टेट से आय | 71,696.00 | 751,491.00 |
| स्टाफ क्वार्टरों से किराया-लाइसेंस षुल्क | 180,365.00 | 167,100.00 |
| बाहरी परियाजनाओं से आय | 957,397.00 | - |
| फैकल्टी परामर्श प्रभार | 1,800.00 | 192,000.00 |
| अन्य प्राप्तियों से आय | 1,393.00 | 58,492.00 |
| अप्रयोज्य वस्तुओं की बिक्री | - | 51,568.00 |
| टीडीएस वापसी पर ब्याज | 38,764.00 | |
| tkM+ | **5,423,648.00** | **15,773,498.26** |

## vuqlph 12 & iwoZ vof/k vk;

| | | |
|---|---|---|
| पूर्व अवधि आय | - | - |
| | - | - |

## vuqlph 13 & LFkkiuk 0;;

| | | |
|---|---|---|
| स्टाफ को वेतन | 50,615,782.00 | 51,697,105.00 |
| भत्ते एवं बोनस | 2,943,646.00 | 3,645,625.00 |
| एनपीएफ में अंशदान | 4,068,197.00 | 5,492,926.00 |
| कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत्त लाभ पर व्यय | 2,728,186.00 | 6,680,351.00 |
| प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन | 790,740.00 | 750,696.00 |
| tkM+ | **61,146,551.00** | **68,266,703.00** |

## vuqlph 14 & ç'kklfud 0;;

| | | |
|---|---|---|
| विज्ञापन एवं प्रचार | 163,512.00 | 150,948.00 |
| भवन मरम्मत और उन्नयन | 373,862.00 | 574,617.00 |
| विद्युत एवं पॉवर प्रभार | 4,919,700.00 | 7,391,584.00 |
| हिंदी प्रोत्साहन व्यय | 158,609.00 | 472,204.00 |
| बीमा | 69,895.00 | 6,036.00 |
| विधिक एवं व्यावसायिक व्यय | 280,200.00 | 930,688.00 |
| विविध व्यय | 77,571.54 | 202,041.67 |
| सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय | 454,565.00 | 14,350,386.00 |
| फोटोस्टेट व्यय | 30,524.00 | 167,240.00 |
| डाक टिकट, तार और संचार प्रभार | 74,890.00 | 58,261.00 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री | 221,318.00 | 251,166.00 |
| नई परिसंपत्तियों की खरीद | 179,643.00 | 608,108.00 |

| | 31-03-2021 ds vuqlkj vkdMs | 31-03-2020 ds vuqlkj vkdMs |
|---|---|---|
| ejEer ,o j[kj[kko | | |
| क. कंप्यूटर | 432,500.00 | 200,144.00 |
| ख. कूलर/ए.सी | 424,564.00 | 816,247.00 |
| ग. कार्यालय भवन और संबद्ध | 96,583.00 | 247,936.00 |
| स्टाफ कल्याण व्यय | 180,721.00 | 534,046.00 |
| टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार | 422,966.00 | 466,928.00 |
| यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे | 561,109.00 | 813,679.00 |
| वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे | 471,519.00 | 566,184.00 |
| जल प्रभार | 719,144.00 | 354,140.00 |
| tksM+ | **10,313,395.54** | **29,162,583.67** |
| पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत | 179,643.00 | 608,108.00 |
| vk; vkSj O;; ys[kk esa vUrfjr /kujkf'k;ka | **10,133,752.54** | **28,554,475.67** |

## vuqlwph 15 & iwoZ vof/k O;;

| | | |
|---|---|---|
| पूर्व अवधि व्यय | 35,588.00 | 574,820.00 |
| | **35,588.00** | **574,820.00** |

## vuqlwph 16 & ;kstukxr vuqnku Hkkj O;;

| | | |
|---|---|---|
| d- vuqla/kku] f'k{k.k vkSj çf'k{k.k | | |
| अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन | 2,878,594.00 | 9,766,162.00 |
| शिक्षण कार्यक्रम | 3,439,959.53 | 17,298,861.00 |
| ग्रामीण कार्यक्रम | - | 4,593,735.00 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 3,094,367.00 | 1,008,308.00 |
| परिसर सेवाएं | 18,907,363.00 | 20,731,503.00 |
| tksM+ ¼d½ | **28,320,283.53** | **53,398,569.00** |
| [k- iwokZŸkj jkT;ksa ds fy, dk;Øe@ifj;kstuk,a | | |
| शिक्षण कार्यक्रम | 395,318.00 | 7,949,742.00 |
| परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं) | 970,222.00 | 857,475.00 |
| tksM+ ¼[k½ | **1,365,540.00** | **8,807,217.00** |
| x- iqLrdky; _lfo/kkvksa dk c<+kuk | | |
| पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान | 1,753,908.00 | 724,780.00 |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | - | 758,687.00 |
| पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण | 7,066.00 | 111,242.00 |
| tksM+ ¼x½ | **1,760,974.00** | **1,594,709.00** |
| ?k- volajpuk | | |
| प्रशासनिक खंड : नवीकरण एवं उन्नयन | | |
| अवसंरचना विकास | 19,160,627.00 | 2,000,000.00 |
| tksM+ ¼?k½ | **19,160,627.00** | **2,000,000.00** |
| ;kstukxr vuqnku Hkkj dqy O;; ¼d ls ?k½ | **50,607,424.53** | **65,800,495.00** |
| उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि | 19,160,627.00 | 2,000,000.00 |
| घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत | 1,596,290.00 | 870,627.00 |
| | 20,756,917.00 | 2,870,627.00 |
| vk; vkSj O;; ys[kk esa vUrfjr /kujkf'k;ka | **29,850,507.53** | **62,929,868.00** |

# oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
## 31 ekp 2021 dk lekIr o"k d fy, y[kk dh vulfp;k

egRoi.k y[kk uhfr;k ,o y[kk ij fVIif.k;k

vulph l- **17 :** egRoi.k y[kk uhfr;k

d- egRoi.k y[kk uhfr;k

1- foÙkh; vkfpR; dk ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2- foÙkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3- vpy ifjlEifÙk;k

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4- eY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

| ifjlEifÙk;k dh J.kh | eY;gkl dh nj |
|---|---|
| भवन | 10% |
| फर्नीचर एवं जुड़नार | 10% |
| कार्यालय उपकरण | 15% |
| वाहन | 15% |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | 40% |
| कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र | 40% |
| सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां) | 25% |

5- iathxr oLrvk ij buiV dj ØfMV ¼th,lVh½

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6- iwo vof/k lek;ktu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7- oLrq lfp;k

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8- de|pkjh fgr ykHk

संस्थान ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

9- fodkl fuf/k

संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र सं. जी–26035/1/2002–ईएसए (एनएलआई) दिनांक 02.04.2002 के माध्यम से जारी निदेशों के अनुसार विकास निधि सृजित की थी जिसमें व्यय से अधिक आय को प्रत्येक वर्ष के अंत में हस्तान्तरित किया जा रहा था। सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास की अवधारणा की शुरूआत के बाद, संस्थान विकास निधि में मूल्यह्रास चार्ज करने से पहले अधिशेष स्थानांतरित करता है क्योंकि मूल्यह्रास में निधि का बहिर्वाह नहीं होता है।

vu|lph l- **18 :** y[kk ij fVIif.k;k

1- y[kkdu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2- fuo'k uhfr

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV (ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3- lgk;rk vu|nku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4- i thxr ,o jktLo y[kk

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5- fofo/k nunkj vkj fofo/k yunkj

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं षैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्श के तहत दर्शाया जा रहा है।

6- vpy ifjlEifÙk;k ,o eY;gkl

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों के अनुसूची 17 के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7- ifjlEifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से किए गए। विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान इन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 2,91,65,166/– रुपए को पूंजीकृत किया गया और सीपीडब्ल्युडी से प्राप्त 1,11,65,571/– रुपए की शेष अनप्रयुक्त राशि संस्थान द्वारा मंत्रालय को लौटा दी गई है। सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से 3,03,36,229/– रुपए का उपयोग प्रतीक्षित है।

9- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2021 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

| fooj.k | 31-03-2021 rd çko/kku | 31-03-2020 rd çko/kku |
|---|---|---|
| minku | 36,106,148.00 | 36,921,345.00 |
| vftZr vodk'k | 26,367,429.00 | 27,182,659.00 |
| | 62,473,577.00 | 64,104,004.00 |

10- vk;dj fooj.kh

संस्थान ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी। संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11- vkxs ys tk;k x;k vf/k'ks"k

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेश नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12- vkdfLed n;rk,

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13- vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k vuqlwph

लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर एवं बाहरी परियोजना निधि को उद्दिश्ट निधि में शामिल किया गया है

14- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vuqlfp;ka 1 ls 18 gLrk{kfjr

d`rs dey frokjh ,.M ,lksfl,V~l — d`rs oh oh fxfj jk"Vh; Je laLFkku

सनदी लेखाकार (एफआरएन 035693 एन)

| | | | |
|---|---|---|---|
| g-@ | g-@ | g-@ | g-@ |
| dey dqekj | 'kSys'k dqekj | g"kZ flag jkor | MkW- ,p- Jhfuokl |
| सदस्यता सं. 537361 | लेखा अधिकारी | प्रशासन अधिकारी | महानिदेशक |

स्थानः नई दिल्ली

दिनाँकः 24 मई 2021

यूडीआईएनः 21537361एएएएएवी7996

**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।


वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in